21. साहित्य और समाज

अंधकार है वहीं जहाँ आदित्य नहीं है ।

मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है ।। —सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी होता है इसलिये समाज से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । अतः वह अपनी कृतियों में केवल अपने व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित नहीं करता अपितु उसे समाज की अनुभूतियों, भावनाओं, विश्वासों और विचारधाराओं का निरुपण भी करना होता है । लेखक अपने समाज का मस्तिष्क एवं मुख दोनों होता है । उसकी पुकार समाज की पुकार होती है । वह समाज की कटुता और कठोरता को लेकर उसके बदले उसके हृदय में आनन्द रूपी अमृत भर देता है । जिस प्रकार बादल सागर का खारा जल लेकर उसके बदले मीठा जल बरसाते हैं ।

साहित्य और समाज का अटूट संबंध है । साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य की कोई सत्ता नहीं है । किसी विद्वान् का कथन है कि संस्कृति किसी देश, जाति, समाज के प्राण होते हैं और यह संस्कृति उस समाज के साहित्य में अनुप्राणित रहती है । इसलिये जिस देश, जाति या समाज का साहित्य महान् आदर्शमय एवं गरिमापूर्ण है । वह समाज संसार में प्रतिष्ठित कहलाता है ।

साहित्य की परिभाषा – साहित्य देवासुर संग्राम में सागर-मंथन से निकला कोई रत्न भले ही न हो, परन्तु मानव-जीवन सरोवर से खिला एक अद्‌भुत कमल अवश्य है । जन-जीवन सागर के मंथन से प्राप्त एक अमूल्य अमृतधारा एवं एक अमूल्य मणि है । साहित्य मानव सभ्यता का वह प्रकाश स्तम्भ है, जिसके अलोक की रश्मियाँ अज्ञान जड़ता और मूढता के अंधकार को दूर कर डालती है । साहित्य मानव-साधना का कल्पतरु है ।

साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित शब्द से हुई है जिसका अर्थ है कि साहित्य वह कृति है जहाँ भाषा एवं भाव का मणि-कंचन की भाँति सुन्दर समन्वय हुआ हो । इसका भाव यह है कि साहित्य वह रचना है जोकि समूची मानव जाति हेतु हितकारी, मंगलकारी एवं कल्याणकारी हो । साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, अपितु वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, व्यवहार एवं ज्ञान का भी साधन है । अतः संस्कृत साहित्य में सत्य कहा गया है—

साहितेन भावः स साहित्यं

हित के भावों से भरे को साहित्य कहते हैं ।

इसी प्रकार अंग्रेज़ी में भी Literature दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है ।

व्यापक अर्थ में Literature शब्द का निर्माण Letter शब्द से हुआ है जिसका भाव है कि जो कुछ भी लिखा जाये वही साहित्य है । इसी प्रकार संस्कृत साहित्य में इनको वाङ्मय के नाम से पुकारा जाता है । वाङ्मय शब्द का भाव है कि जिसको वाणी दी जाये । इसमें सभी विषय आते हैं ।

संकुचित अर्थ में इसका भाव है साहित्य की विभिन्न विधाएं –कविता, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि । अरबी में इसको 'अदब' कहते हैं । जिसका अर्थ है आदर एवं शिष्टता । साहित्य की कुछ परिभाषाएं देखिए–

ज्ञान राशि का संचित कोष ही साहित्य है । –महावीर प्रसाद द्विवेदी

आत्मा की अनुभूतियों का रहस्य खोलने वाली रचना साहित्य है ।

–जयशंकर प्रसाद

परन्तु इन सभी परिभाषाओं में से कोई भी साहित्य की सम्पूर्ण परिभाषा नहीं है । क्योंकि इनमें साहित्य के विभिन्न तत्त्वों, भाव, विचार, कल्पना शैली के दर्शन नहीं होते । अतः हमारे मतानुसार कल्पना एवं अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला साहित्य है ।

समाज की परिभाषा – इसके विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किये हैं । राजनीति शास्त्र की परिभाषा में समाज उन पुरुषों का समूह है जो एक स्थान पर रहे, उनका एक राज्य हो और वह राज्य प्रभुसत्तासम्पन्न हो । परन्तु आदर्शवादियों की दृष्टि से समाज उस मानव समूह को कहते हैं जो एक देश में रहे उनकी भाषा, संस्कृति, परम्परा, ध्वजा एक हो क्योंकि समाज परम्पराओं के द्वारा निर्मित होता है । जैसे आर्यसमाज, देव समाज, कवि समाज स्त्री समाज आदि ।

समाज का साहित्य पर प्रभाव – प्रत्येक युग का साहित्य अपने समकालीन समाज की गतिविधियों, मान्यताओं और विचारों का चरित्रवान होता है । महाभारत के युग के संबंध में इतिहास मौन है । परन्तु महाभारत

महाकाव्य से उस युग का सजीव चरित्र दृष्टिगोचर होता है। वह समाज के पतन का युग था। इस भाँति हम कह सकते हैं कि साहित्यकार एक फोटोग्राफर की भाँति समाज की गतिविधियों आहार, व्यवहार, आचरण का सजीव चित्र अंकित करता है। समाज ही साहित्य निर्माण करता है। यदि समाज न हो तो साहित्य सृजन असंभव है इसलिये मैथिलीशरण गुप्त जी ने समाज का चित्रण करते हुये कहा है–

हम कौन थे क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।। –भारती

इसलिये साहित्य मनोविनोद हमारे जीवन का भार ही हलका करता है जहाँ साहित्य का अभाव है वहाँ जीवन रम्य नहीं रहता। साहित्य समाज की चेतना में साँस लेता है। यह समाज का परिधान है जो जनता के जीवन में सुख-दुःख, हर्ष, विषाद, आकर्षण-विकर्षण के ताने-बाने से बुना जाता है। उसमें विशाल मानव जाति की आत्मा का स्पंदन ध्वनित होता है। वह जीवन की व्याख्या करता है। इसी से उसमें जीवन देने की शक्ति आती है। साहित्य-सेवन से हमारा मन परिष्कृत और हृदय उदार हो जाता है। साहित्य का आनन्द लेने के लिए हमें सतोगुणात्मक वृत्तियों में रमने का अभ्यास हो जाता है। साहित्य-सेवन से मनुष्य की भावनाएं कोमल बनती हैं। उसके भीतर मनुष्यता का विकास होता है। शिष्टता और सभ्यता आती है जिसमें दूसरों के साथ व्यवहार करने की कुशलता प्राप्त होती है। इससे समाज में शांति की स्थापना होकर विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार साहित्य माता के समान शिक्षा देता है। सहृदय के समान मार्ग दिखाता है और प्रिया के समान मधुर स्नेह की साकार मूर्ति बनकर सामने आता है। ऐसे साहित्य से हमारे जीवन का अटूट संबंध है। साहित्यकार समाज का मुख और मस्तिष्क दोनों होता है। उसकी पुकार समाज की पुकार होती है। उसकी बनाई हुई सामाजिक भावों की मूर्ति समाज की नेत्री बन जाती है। इस प्रकार वह समाज का उन्नायक और विधायक होता है। हम उसके द्वारा समाज के हृदय तक पहुँच जाते हैं।

साहित्य का समाज पर प्रभाव – यह ठीक है कि साहित्य समाज से प्रभावित होता है। उसमें समाज प्रतिबिम्बित होता है। परन्तु यह भी ठीक है

कि साहित्य से समाज का सुधार होता है । साहित्यकार साधारण व्यक्ति नहीं होता । उसमें समाज को दिल देने की शक्ति होती है । वस्तुतः साहित्य मानव समाज का मस्तिष्क है, साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है, साहित्य समाज का दर्पण है अतः एक सच्चा साहित्यकार कभी भी समाज की उपेक्षा नहीं कर सकता । यदि वह समाज की उपेक्षा कर कल्पना में विचरण करता हुआ साहित्य रचना करता है तो उसका साहित्य कभी भी शाश्वत रूप धारण नहीं करता और न ही उस समाज का अस्तित्व घोषित करता है । एक उर्दू लेखक के शब्दों में –

लोग कहते हैं बदलता है जमाना लेकिन ।

मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं । ।

गांधी जी का राजनीति के क्षेत्र में चलाया निष्क्रिय प्रतिरोध बौद्ध कालीन विचारों एवं टाल्स्टाय के विचारों का फल है । रूसी राज्य क्रांति वहाँ के साम्यवादी लेखकों का ही परिणाम है । फ्रांस की राज्य क्रांति वोलटरे और रूसो के विचारों का प्रतिबिम्ब है । नित्थे आदि दार्शनिकों के विचारों ने जर्मन जाति में शक्ति की उपासना तथा अपनी सभ्यता के विस्तार के भाव उत्पन्न किये थे । वही प्रथम महासमर के लिये उत्तरदायी है ।

जिस समय समाज अपनी उन्नत अवस्था में होता है साहित्य उसका अनुसरण करता है । परन्तु जब समाज अपनी पतन अवस्था को प्राप्त होता है तो साहित्य उसका पथ-प्रदर्शक करता है । जब-जब समाज पर संकटों के बादल छाये । विपदाओं की आंधियां आई । साहित्य ने सूर्य के प्रचंड प्रकाश की भांति उन सब का निर्माण किया । अकबर का युग भारतीय इतिहास के घोर पतन का युग था । तुलसी ने श्रीराम के आदर्श को सम्मुख रखकर हिन्दू समाज में एक नई चेतना भर दी और समाज का खोया हुआ गौरव पुनः जागृत हो उठा । जब चारों दिशाओं से यह ध्वनि सुनाई देने लगी–

हम हैं वही जिन्होंने सागर पर पत्थर तैराये हैं ।

साहित्य मस्तिष्क का भोजन है जिस भाँति पौष्टिक भोजन खाने से शरीर और मस्तिष्क में बल उत्पन्न होता है । इसी प्रकार जैसा कोई मनुष्य करता है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह एक कहावत है जैसा

अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा कोई मनुष्य भोजन करेगा उसका अच्छा व बुरा प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है। साहित्य मस्तिष्क का भोजन है अच्छा साहित्य का अध्ययन करने से पाठकों में सद्‌गुणों का संसार होता है और बुरे तथा अश्लील साहित्य के पढ़ने से मनुष्य के विचारों में अश्लीलता आती है। इसलिये सदा सद्‌साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए। भारतीय साहित्य महान् है क्योंकि इसका समाज महान रहा है। समाज के बंधन से साहित्यकारों के तीन वर्ग किये जा सकते हैं।

अपरिवर्तनवादी साहित्यकार – वे लेखक जो पुरानी मान्यताओं और रूढ़ियों पर स्थिर हैं वे साहित्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते। जैसे आचार्य शुक्ल, शांतिप्रिय द्विवेदी आदि।

सुधारवादी साहित्यकार – इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो समाज और साहित्य की परम्पराओं में थोड़ा सुधार चाहते हैं। आमूल परिवर्तन नहीं जैसे प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय आदि। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक बुराइयों को प्रकट किया तथा उनसे छूटने के लिए प्रेरणा दी। उनका साहित्य बीसवीं शदी के पूर्वार्द्ध के भारतवर्ष की सामाजिक दशा का दर्पण है। साहित्यकार सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक प्रभावों को तिलांजति नहीं दे सकता। इसलिये एक कवि ने प्रभु से प्रार्थना की है–

पृथ्वी पर ही मेरे पद हो, दूर सदा आकाश रहे।

आदर्शवादी साहित्यकार – इस कोटि में वे साहित्यकार आते हैं जो समाज को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। ऐसे कवि अपने उच्च आदर्शों को बनाए रखना चाहते हैं। यथा – रामबिलास शर्मा, अज्ञेय आदि।

साहित्य में शक्ति – साहित्य में अनंत शक्ति है जो तोप और तलवार में भी नहीं। रत्नावली की एक पंक्ति ने तुलसीदास को विश्वकवि बना दिया। बिहारी के एक दोहे ने राजा जय सिंह के जीवन में परिवर्तन ला दिया। आदिकालीन हिन्दी साहित्य इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जब युद्ध भूमि में वीर योद्धा साहस खो बैठे थे, निराशा से भीग जाते थे तो कवि उन्हें वीर रस पूर्ण कविताएं सुनाकर नवचेतना, नवजीवन, नव-उत्साह भर देते थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य का प्रभाव इतना गहरा और

व्यापक होता है कि उसके प्रभाव के सम्मुख शास्त्रों का आतंक फीका पड़ जाता है। साहित्यिक विजय शाश्वत होती है और शस्त्रों की क्षणिका अंग्रेज़ तलवार द्वारा भारत को दासता की शृंखला में इतनी दृढ़तापूर्वक नहीं बांध सके, जितना अपने साहित्य के प्रचार-प्रसार द्वारा और हमारे साहित्य का ध्वंस करके सफल हो सके। आज उसी अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य का प्रभाव है कि हमारे सौंदर्य संबंधी विचार हमारी कला का आदर्श, हमारा शिष्टाचार आदि सबसे प्रभावित हो रहा है। कवि के शब्दों में –

जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।

जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी।।

साहित्य एवं संस्कृति – संस्कृति संस्कारों से बनती है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ है – आत्मज्ञान। किन्त प्रत्येक देश या समाज की अपनी-अपनी संस्कृति होती है जिसके द्वारा वह राष्ट्र या समाज जीवित रहता है। संस्कृति के नष्ट होने की सम्भावना वही रहती है। मुगल शासक अकबर तथा औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। अंग्रेज शासक ने भी यही कार्य किया। किन्तु भारतीय संस्कृति एक अमर संस्कृति है और यह संस्कृति कबीर के पदों में, मीरा के गीतों में, सूर की पदावली में और तुलसी के मानस में सदा हरी-भरी रही। अतः किसी आलोचक ने यथार्थ ही कहा है कि यदि कोई पूछे कि भारतीय संस्कृति क्या है तो उसके सामने 'रामचरितमानस' रख दो। अतः तुलसीकृत 'मानस' भारतीय संस्कृति का साकार रूप है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे शेक्सपीयर, मिल्टन पर अंग्रेजों को गौरव है उसी प्रकार बाल्मीकि, कालिदास, कबीर, सूर और तुलसी पर भारतीयों को भी गौरव है। क्योंकि इनकी रचनाएं हमें एक सूत्र एक संस्कृति में बांधती है। अपनी किसी वस्तु पर गौरव करना जातीय जीवन और सामाजिक संगठन का प्राण है। इस प्रकार जैसे हमारा साहित्य होता है वैसी ही हमारी मनोवृत्तियां बन जाती है और उन्हीं के अनुकूल हम कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार साहित्य हमारे समाज का दर्पण मात्र न रहकर उसका नियामक एवं उन्नायक भी बन जाता है।

इस दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि साहित्य और

समाज का परस्पर अटूट संबंध है। यदि साहित्य समाज का अनुसरण करता है और उसकी गतिविधियों को चित्रित करता है तो समाज भी उसमें प्राणों का संचार करता है। साहित्य समाज के मस्तिष्क का भोजन है और साहित्य समाज का दर्पण एवं दीपक है। यदि समाज सूर्य है तो साहित्य उसकी किरणें। यदि समाज सागर है तो साहित्य उसकी लहरें। जैसे पुष्प से सुगंध भिन्न नहीं हो सकती उसी प्रकार समाज से साहित्य भी भिन्न नहीं हो सकता। अतः साहित्य और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं।

22. राष्ट्रभाषा हिन्दी

निजभाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की शूल।।
जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है।। —भारतेन्दु

एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान है—एक विधान, एक निशान, एक जबान। यदि प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार किसी राष्ट्र की यह स्थिति है तभी उसे राष्ट्र के नाम से पुकारना चाहिए। राष्ट्र के लिए एक और तत्त्व भी अनिवार्य है वह है शिक्षा। राष्ट्र की आत्मा शिक्षा होती है और भाषा उसकी वाणी होती है। अपनी संस्कृति एवं स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है तो राष्ट्र मृतवत् है। यदि अपनी राष्ट्रीय भाषा न हो तो वह राष्ट्र गूंगा कहलाता है। यों इन दोनों तत्त्वों के अभाव में कोई भी राष्ट्र घिसटता तो है, परन्तु उन्नति नहीं कर सकता है।

755 वर्षों के उपरांत भारत 15-8-1947 ई० को परतंत्रताओं की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ। इसके पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने 343 अनुच्छेद के अनुसार 14-9-1949 ई० को हिन्दी को भारत की राज भाषा एवं राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया और 26-1-1950 ई० को यह भाषा लागू की गई। वस्तुतः हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इस घोषणा में कोई पक्षपात नहीं हुआ है क्योंकि प्रस्तुत भाषा इस महान् पद की अधिकारिणी है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

1. इसकी तत्सम शब्दावली है जो अन्य मुख्य भारतीय भाषाओं में भी उसी रूप से उपलब्ध है।

2. हमारे देश में इस भाषा के बोलने वालों की संख्या लगभग 50% है क्योंकि मुख्यतः यह भाषा हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड आदि राज्यों में बोली जाती है और यही भाषा इन राज्यों की राजभाषा है ।
3. बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की भाषाओं और हिन्दी के शब्द-भण्डार में इतनी अधिक समानता है कि वहाँ के निवासी हिन्दी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं ।
4. भारत के लगभग सभी बड़े-बड़े नगरों और राज्यों में फैले हुए राजस्थानी, मारवाड़ी, व्यापारी वहाँ लगातार हिन्दी का प्रचार-प्रसार करते हैं ।
5. यहाँ तक कि अब तो संसार के 204 विभिन्न देशों में हिन्दी सब भाषाओं से अधिक बोली जाती है । दूसरा स्थान चीनी भाषा, तीसरा अंग्रेज़ी भाषा और चौथा स्थान अरबी भाषा का है । यह सब कमाल दूरदर्शन के चैनलों के माध्यम से हुआ है ।

हम भारतीय हैं अतः हमारी गैरत यह स्वीकार नहीं कर सकती कि एक विदेशी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बनी रहे । यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी जानने और बोलने वालों की संख्या लगभग आधा प्रतिशत है । अतः डॉ० रामविलास शर्मा के शब्दों में –

आधे प्रतिशत अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग देश के भाग्य विधाता नहीं बन सकते । बोलने वालों की संख्या के विचार से हिन्दी संसार की तीन सब से बड़ी भाषाओं में है । केन्द्रीय राजकाज और अन्तर्जातीय आदान-प्रदान के लिए उसका व्यवहार उचित है ।

चौदह सितम्बर के दिवस का ऐतिहासिक महत्व है । इसकी एक संवैधानिक महत्ता है । बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि यह त्योहार कैसे बना ? तब राजनीतिक भाषाई विवाद का जन्म नहीं हुआ था तो भी भाषा का प्रश्न जटिल नहीं था । संविधान सभा में इस प्रश्न पर बहुत ही गहन एवं गम्भीर वादविवाद हुआ था । राष्ट्र भाषा के प्रश्न की जटिलता का कारण यह भी है कि हमारे देश में लगभग 1700 भाषाएं व उपभाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 50 भाषाएं व उपभाषाएं विदेशी हैं । जिन 14 मुख्य भाषाओं

को संवैधानिक दर्जा दिया गया है उनमें हिन्दी देश के सर्वाधिक लोगों की भाषा है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 2-5-1947 ई० को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था जिनके कारण उस समय संविधान सभा को अपना कामकाज अंग्रेज़ी में करना पड़ रहा था। किन्तु उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्ति की थी—

संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का साथ ही साथ हिन्दी रूपांतरण भी प्रस्तुत किया जाता रहे और जब संविधान के आत्मसमर्पण का समय आये तो हिन्दी में भारतीय संविधान की प्रति को भी आत्मसमर्पण किया जाए ताकि भविष्य में किसी को भी विशेषकर न्यायपालिका को अंग्रेज़ी में लिखे संविधान पर निर्भर न रहना पड़े। आखिर कब तक हम अपने न्यायधीशों से यह अपेक्षा करते रहेंगे कि वे अंग्रेज़ी भाषा में पारंगत हो। मेरी व्यक्तिगत इच्छा यह है कि संविधान की मूल प्रति हमारी अपनी प्रमुख भाषा में हो न कि अंग्रेज़ी में।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी के आग्रह पर डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों को सभा की सारी कार्रवाई हिन्दी में शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। 4-11-1949 ई० को संविधान के हिन्दी प्रारूप का विषय संविधान सभा के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ।

इस बार सेठ गोविन्ददास एवं पं० बालकृष्ण शर्मा ने यह प्रश्न उठाया—

संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 99 के द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्तर प्रदान करने के बाद भी क्या सदन के समक्ष संविधान के शेष अनुच्छेद अंग्रेज़ी में भी रखे जाएंगे और यह मूल संविधान किस भाषा में भारत में माना जाएगा।

18-5-1949 ई० को सेठ गोविन्ददास ने पुनः डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का ध्यान उनकी 2-5-1947 ई० की उस घोषणा की ओर आकर्षित किया जिसमें संविधान के राष्ट्रभाषा में होने का वचन दिया गया था। सेठ गोबिन्ददास ने इस विषय को इस प्रकार रेखांकित किया—

संविधान का प्रारुप राष्ट्रभाषा में हो और साथ ही उसका अंग्रेज़ी अनुवाद दिया जा सकता है। किन्तु मूल और आधिकारिक संविधान राष्ट्रभाषा में ही हो।

अतः 14-9-1949 ई० जब हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया तब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था—

पहली बार भारत का एक संविधान बन रहा है। आज हमने उसे भाषा दी है। वह भाषा जिसमें भारतीय संघ का कारोबार चलेगा। हिन्दी भाषा को अब समय की परिस्थितियों के अनुसार विकसित होना होगा।

इसके बाद भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विजय लक्ष्मी पंडित को रूस का राजदूत नियुक्त कर दिया। उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को अपना परिचयपत्र अंग्रेज़ी भाषा में दिया तो उसे वापिस करते समय रूसी नेता ने कहा था—

अब तो भारत आज़ाद है। क्या उसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कृपया अपने देश की भाषा में अपना परिचयपत्र प्रस्तुत करें।

हमें फिर भी शर्म नहीं आई। यह तर्क दिया गया कि भारत बहुभाषी देश है। इसलिये किसी भाषा में कामकाज करने से राष्ट्रीय एकता को आघात नहीं लगेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रथम 15 वर्ष अस्थायी रूप से अंग्रेज़ी में सरकारी कामकाज करने का निर्णय लिया। यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि हिन्दी की होड़ केवल अंग्रेज़ी से है, किसी प्रांतीय भाषा से नहीं। परन्तु राजनीति के तहत हिन्दी को प्रांतीय भाषाओं के विरुद्ध में खड़ा कर दिया गया। 15 वर्ष के उपरांत जब हिन्दी को 26-1-1965 ई० से पूरी तरह लागू करना था, तो उसके ठीक पहले 17-1-1965 ई० डी.एम. के नेता सी.एन. अन्नादुरै ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखा कि उनकी पार्टी 26-1-1965 ई० को शोक दिवस के रूप में मनाएगी यदि उस दिन हिन्दी पूरी तरह लागू कर दी गई। फलतः 26-1-1965 ई० को संसद् ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं अंग्रेज़ी को सह-राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु व बंगाल में हिन्दी विरोधी प्रदर्शन व दंगे हुये।

अब विभिन्न महान् व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत हिन्दी के विषय में उनके विचार निम्नलिखित हैं–

1. केवल हिन्दी द्वारा ही सारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है ।

–महर्षि दयानंद सरस्वती

2. राष्ट्रभाषा हिन्दी के बिना राष्ट्र गूंगा है ।

–महात्मा गांधी

3. देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिन्दी ही हो सकती है ।

–लाल बहादुर शास्त्री

4. हिन्दी भाषी इलाका भारत का सबसे बड़ा इलाका है ।

–डा० राम बिलास शर्मा

5. भारत में एक भाषा हिन्दी ही राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है ।

–डा० ग्रियर्सन

राष्ट्रभाषा हिन्दी का विभिन्न विद्वानों द्वारा इतना गुणगान करने पर भी आज स्वतंत्र भारत में हिन्दी परित्यक्ता नारी की भाँति बनवासिनी बनी हुई है । उसका यह बनवास कब समाप्त होगा इसके विषय में निश्चित् रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । संसार के प्रत्येक देश में अपनी राष्ट्रभाषा है, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी कामकाज होता है । जहाँ नौकरशाही की भाषा कुछ और हो और जनता की कुछ और हो । भारतीय संविधान में तो हिन्दी ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा और सम्पर्क भाषा है । वस्तुतः अभी भी अधिकतर कार्यालयों में कामाकाज अंग्रेज़ी में होता है क्योंकि हम हिन्दी में काम करना नहीं चाहते । वस्तुतः हम स्वतंत्र है परन्तु हमारी आत्मा अभी भी परतंत्र है ।

यहाँ तक कि कुछ अंग्रेज़ी प्रेमियों का मत है कि हिन्दी भाषा में अंग्रेज़ी की अपेक्षा उचित शब्दावली का अभाव है परन्तु तथ्य है कि हिन्दी की शब्द सम्पदा अंग्रेज़ी से कहीं अधिक है । हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4-10-1986 ई० को संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में एक प्रभावशाली एवं ओजस्वी भाषण देकर संसार के अनेक देशों को आश्चर्यचकित कर दिया । इस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी

संयुक्त संघ और अनेक विदेशों में हिन्दी में प्रभावोत्पादक भाषण देकर हिन्दी का गौरव बढ़ाया ।

हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की स्थिति संतोषजनक नहीं है । सत्य तो यह है कि हमारे देश की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में हिन्दी का व्यवहार कम ही रहा है । अधिकारीगण भी हिन्दी में कार्य करना नहीं चाहते । क्योंकि भाषा का सम्बन्ध रोजगार से है । पब्लिक क्षेत्रों में रोजगार तभी उपलब्ध होता है जब अंग्रेज़ी भाषा का विशेष अनुशीलन किया जाए । प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अंग्रेज़ी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य होता है । डाक्टरी, इंजीनियरिंग, कॉलेज, न्यायालयों, विज्ञान की अधिकतर पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं क्योंकि इन पुस्तकों का अभी तक हिन्दी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है । इन्हीं कारणों से आज राष्ट्र भाषा हिन्दी की दशा अति शोचनीय है ।

जब भी देश में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं को लाने की बात चलती है तो अंग्रेज़ी के समर्थक, कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्र तथा अन्य प्रबुद्ध लोग यह कहना आरम्भ कर देते हैं इससे देश टूट जाएगा । उत्तर और दक्षिण भारत में दरार पड़ जाएगी । परन्तु सच तो यह है कि अंग्रेजी के कारण ही सभी भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया है । हिन्दी के उचित स्थान से देश की एकता की भावना बढ़ेगी । जैसे तुलसीदास ने कहा है–

भाषा, इष्ट, उपासना, खान-पान और परिधान ।
जहाँ ये तुलसी छः हैं वहीं एकता जान ।।

विश्व के 175 देशों में हिन्दी की कीर्ति पताका फहरा रही है । वहाँ के विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है । हिन्दी पर शोध कार्य हो रहा है । हिन्दी समाचार-पत्र व पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है । दूरदर्शन में हिन्दी में समाचारों का प्रसारण हो रहा है । इन्टरनैट पर भी हिन्दी छाई है । भाषा वैज्ञानिकों के मतानुसार संसार में भाषा बोलने का क्रम हिन्दी, चीनी और अंग्रेज़ी है ।

अतः विचार करना चाहिए कि किसी प्रकार राष्ट्र भाषा हिन्दी का विकास हो जिससे वह सच्चे अर्थों में देश की राष्ट्रभाषा बन जाये । ऐसा करने के लिये हमें अधोलिखित उपाय अपनाने होंगे–

1. देश का सारा कामकाज हिन्दी भाषा में हो ।
2. अंग्रेज़ी भाषा की अनिवार्यता सभी क्षेत्रों में समाप्त कर दी जाए । जैसे कि स्वामी रामदेव जी लिखते हैं–

   हमें राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं यथा गुजराती, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, बंगला आदि का ज्ञान रखना उत्तम बात है, परन्तु अन्य देश की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करना घोर अपमान व शर्म की बात है । विश्व का कोई भी सभ्य देश अपने नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं देता ।

   –जीवन दर्शन पृ० 54
3. सभी वर्ग समुदाय के लोग एकजुट होकर हिन्दी भाषा का प्रयोग करने के लिये तैयार हो जाये । जैसे डैडी मम्मी शब्दों का प्रयोग अपने-अपने घरों में बच्चों द्वारा आम किया जाता है । जबकि डैडी और मम्मी शब्दों के शब्दकोष में बहुत ही गंदे अर्थ दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ी में चाचा, ताया, मामा, फूफा आदि के लिए भी कोई शब्द नहीं है ।
4. नौकरशाही में अंग्रेज़ी मानसिकता का जो अधिपत्य है उसको समाप्त किया जाये ।
5. अंग्रेज़ी भाषा को छोड़कर हिन्दी भाषा को बोलने के लिए अभ्यस्त हो जाएं ।
6. देश के सभी स्कूलों व कॉलिजों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाये ।
7. हिन्दी की सभी पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जाएं ।
8. प्रति वर्ष प्रत्येक सरकारी कार्यालय में हिन्दी के विकास के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ।
9. लोगों को हिन्दी में कार्य करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिये ।
10. हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना चाहिये ।
11. हिन्दी न जानने वाले व्यक्तियों को नियमित रूप से हिन्दी सिखाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

12. संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग न करके सरल एवं सरस भाषा का प्रयोग करना परमावश्यक हो। क्योंकि संस्कृतनिष्ठ भाषा साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता है जैसे सुखालय के स्थान पर अस्पताल और उपायुक्त के स्थान पर डी.सी. शब्दों का प्रयोग उपयुक्त है।

अंततः उपरलिखित विवेचन व विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी की आज दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। फिर भी यह प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। परन्तु ऐसा करने के लिए हमें सुदृढ़ संकल्प और साहस की परमावश्यकता है। जैसे महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्य ही कहा था–

एक दिन आयेगा जब आर्यभाषा न केवल आर्यावर्त्त की अपितु विश्व की भाषा बनेगी।

इसके विषय में सतपाल 'पथिक' जी की एक कविता देखिए–

हिन्दी अपने देश की भाषा हिन्दी से हम प्यार करेंगे।
हिन्दी भाषा में ही जीवन का व्यवहार करेंगे।
हिन्दी अपने देश की भाषा.....
सारा भारत एक राष्ट्र है हिन्दी इसकी भाषा है।
हिन्दी भारत का गौरव है जन-गण-मन की आशा है।
सारी पृथ्वी के ऊपर हम हिन्दी का विस्तार करेंगे।
हिन्दी अपने देश की भाषा.....
बिखरे मोती मिल जाते हैं एक सूत्र मिल जाने से।
देश हमारा एक रहेगा हिन्दी को अपनाने से।
आदरणीय महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे।
हिन्दी अपने देश की भाषा.....
आशा क्या विश्वास है एक दिन हिन्दी को सम्मान मिलेगा।
माता को अपने बच्चों से माता का ही स्थान मिलेगा।
हिन्द देश में रहने वाले हिन्दी का सत्कार करेंगे।
हिन्दी अपने देश की भाषा.....

आओ सारे हिन्दी मिलकर हिन्दी को अपनाएँ हम ।
जो हम वाणी से कहते हैं वह करके दिखलाएँ हम ।
उठो 'पथिक' सौगन्ध उठाकर हिन्दी का प्रचार करेंगे ।

हिन्दी अपने देश की भाषा.....

23. आधुनिक शिक्षा प्रणाली

अनेक प्रकार के ज्ञान अर्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है । शिक्षा ही है जो मानव को मानव बनाती है । शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है । पृथ्वी से लेकर आकाश तक के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना विद्या कहलाता है । भगवान् अनन्त हैं उनकी रची गई यह सृष्टि भी अनन्त है । प्रत्येक सजग राष्ट्र अपने देश की शिक्षाप्रणाली की ओर विशेष ध्यान देता है । भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी देश रहा है उसने लक्ष्मी एवं सरस्वती को समान रूप से महत्त्व दिया है ।

प्राचीनकाल में उसकी शिक्षाप्रणाली देश एवं जाति की आवश्यकताओं के अनुरूप रही है । इस देश में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी जैसे विद्याकेन्द्र विद्यमान थे । यहाँ से देश-विदेश के असंख्य छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की । बौद्ध धर्म का प्रचार, प्रसार इस बात का प्रमाण है कि यह देश दिशा के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी रहा । लेकिन शताब्दियों के पराधीनता ने हमारी इस आदर्श शिक्षाप्रणाली को विकृत कर दिया । विदेशी सरकारों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए तथा अपने राष्ट्र की मशीन को चलाने के लिए हमें पुर्जों से अधिक महत्त्व नहीं दिया । उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली को महत्त्व दिया जो उनके शासन एवं अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता प्रदान करे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम उस विकृत एवं देश के वातावरण एवं जीवन के प्रतिकूल शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह नहीं त्याग सके ।

भारत की प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था मे जहाँ ब्राह्मण लोग शिक्षा के पूर्ण अधिकारी होते थे वहाँ प्रत्येक बालक के लिए भी अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था थी । छात्र को 25 वर्ष तक अपने गुरु का अन्तेवासी बनकर शिक्षा ग्रहण का कार्य पूरा करना होता था । इस शिक्षा का उद्देश्य छात्र के शारीरिक,

मानसिक एवं आत्मिक विकास की ओर ध्यान देना था। प्राचीनकाल की शिक्षा केवल व्यक्ति की उन्नति में ही साधक नहीं थी अपितु यह राष्ट्र एवं जाति के विकास का भी उत्तम साधन थी। शिष्य एवं गुरु में आत्मीय सम्बन्ध था। शिक्षा प्रायः निःशुल्क, मौखिक एवं आध्यात्मिक होती थी।

काल के प्रवाह में भारत को भी अनेक प्रकार की आँधी-तूफानों का सामना करना पड़ा। मुसलमानों के भारत में प्रवेश होते ही हमारी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं को आघात पहुँचा। मुगल शासकों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए सबसे पूर्व हमारे शिक्षा केन्द्रों पर दृष्टि डाली। उन्होंने अनेक शिक्षा केन्द्रों को नष्ट कर दिया। भाषा की दृष्टि से उर्दू और फारसी का बोलबाला हो गया। भारतीय भाषाएं धीरे-धीरे पिछड़ने लगी। ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना ने रही सही कसर पूरी कर दी। जब इस देश में अंग्रेज़ों के पाँव जम गये तो उन्हें अपनी कम्पनी के व्यापार को चमकाने के लिए क्लर्कों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने शिक्षाप्रणाली को सर्वथा अपने अनुकूल बना लिया।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत कुछ अंग्रेज़ी साम्राज्य की देन है। हमने पराधीनता के बन्धन तो तोड़ दिए लेकिन तत्कालीन शिक्षापद्धति के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके। अंग्रेज़ी के प्रति हमारा मोह आज भी पूर्ववत् बना हुआ है। बल्कि स्वतंत्रता के बाद यह मोह और भी बढ़ गया है। लार्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी संसद में 20-2-1835 ई० कहा था—

मुझे विश्वास है कि शिक्षायोजना से भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग बन जाएगा जो रक्त और रंग से तो भारतीय होगा पर रुचि, विचार और वाणी से अंग्रेज़।

जब हम आधुनिक शिक्षाप्रणाली के दोषों एवं त्रुटियों पर विचार करते हैं तो हमें निराश होना पड़ता है। अंग्रेज़ी भाषा की अनिवार्यता भारत के अधिकांश छात्रों के लिए अभिशाप के समान है। पाठ्यक्रम भी जटिल है। कोमल बुद्धि वाला बालक सात-आठ विषयों का अध्ययन करने में असमर्थ रहता है। इससे उसकी बुद्धि का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। शिक्षाप्रणाली के समान ही परीक्षाप्रणाली में भी दोष हैं। यह योग्यता का

मापदण्ड नहीं। अध्यापक भी अपने आदर्शों के पालन में असमर्थ हैं। वे अध्यापन को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं अपितु जीविका का साधन मानते हैं। अतः वे छात्र के प्रति पूरा न्याय नहीं कर पाते। शिक्षित युवक भी आजीविका के लिए दर-दर भटकता फिरता है। अपने जीवन का दीर्घ समय शिक्षा अर्जन में व्यतीत करके भी वह अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहता है। वह हाथ से काम करने में संकोच करता है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में 10+2+3 को अपनाया गया है। परन्तु यह भी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। इसमें मुख्य दोष निम्नलिखित हैं–

1. इस प्रणाली से केवल सैद्धान्तिक शिक्षा ही मिलती है न कि व्यावहारिक। इसके अध्ययन में विद्यार्थी केवल किताबीज्ञान ही प्राप्त करता है।
2. आधुनिक शिक्षाप्रणाली में अंग्रेज़ी भाषा को अत्यधिक महत्ता दी जाती है। पहले अंग्रेजी 5 कक्षा से पढ़ाई जाती थी। अब तो शुरू से ही अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है क्योंकि इसका संबंध रोटी-रोजी से है। अंग्रेज़ी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा तो हो सकती है। परन्तु यह राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती।
3. इसमें टैस्टों और इंट्रव्यूओं की भरमार है जोकि विद्यार्थी को परेशान करती है।
4. इसके पाठ्यक्रम बहुत लम्बे और कठिन हैं। जिन्हें अध्यापकगण उचित रूप से पूरे भी नहीं कर सकते हैं।
5. आज की शिक्षा का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है। जबकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थी का भौतिक व आध्यात्मिक विकास करना है।
6. इसमें आदर्श अध्यापकों का अभाव है। हमें कोई भी आदर्श अध्यापक नहीं मिलता। यदि आदर्श अध्यापक मिलता भी है तो वह अपवाद ही है।
7. स्कूलों व कॉलेजों में अनुशासन का भी अभाव है।
8. आजकल बहुत कम स्कूलों व कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि राजगोपाल आचार्य ने लिखा है–

चरित्रवान् भारतीयों के निर्माण के लिये स्कूलों में प्रत्येक लड़के और लड़की को धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिये ।

इसलिये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अधोलिखित सुधार आवश्यक हैं ।

1. पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक, संतुलित और व्यावहारिक होना चाहिये ।
2. राष्ट्रभाषा व प्रांतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनें ।
3 छात्राओं के अध्ययन का पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके द्वारा वे गृहविज्ञान, शिल्पकला आदि में निपुण बने ।
4. शुल्क भी सामान्य ताकि निर्धन छात्र भी इसमें शिक्षा का लाभ उठा सकें ।
5. कृषि विज्ञान को विशेष महत्त्व दिया जाये ।
6. माता-पिता अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें ताकि वे भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें ।
7. शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए ।
8. धर्म शिक्षा का भी स्कूलों व कॉलेजों में प्रचलन होना चाहिये ताकि विद्यार्थियों के चरित्र का विकास हो सके ।

अतः उपर्युक्त विवरण के अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में सुधार की परमावश्यकता है क्योंकि इसका पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है । परन्तु इसके साथ-साथ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव का सर्वतोमुखी विकास होना चाहिये ताकि वह सच्चे अर्थों में मानव बन कर मानवता की सेवा कर सके ।

24. विज्ञान के चमत्कार

आज के युग में विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है उसके अन्वेषणों तथा अविष्कारों को देखकर मानव चमत्कृत हुए बिना नहीं रह पाता । अनेक प्रकार के चमत्कारों के बढ़ते हुए नित्य कदमों के कारण ही इस युग को विज्ञान के चमत्कारों का युग कहा जाने लगा है । वस्तुतः मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने अपना आसन जमा लिया है । चिकित्सा, यातायात, व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा आदि से लेकर नक्षत्र एवं गृह विज्ञान तक इसका क्षेत्र फैल चुका है ।

प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक आज का व्यक्ति जिस तरह के भी उपकरणों व साधनों का उपयोग करता है वे सभी आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक की ही देन है । आज बिजली, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, टेलीफोन, जलयान, वायुयान, पंखे, बल्ब, रसोई, बैठक आदि के उपकरण, मौसम की जानकारी सभी कुछ आधुनिक विज्ञान की देन है । कल तक जिन रोगों के इलाज की हम कल्पना तक नहीं कर पाते थे, आज के विज्ञान ने उनका नाम तक मिटा दिया है । विज्ञान उपकरणों की सहायता से मानव हिमालय के उच्च शिखरों पर विजय पताका फहरा आया है और चन्द्रलोक तक की ऊबड़-खाबड़ भूमि पर अपने चरण-चिह्न अंकित कर आया है । यहाँ तक कि वह मंगल ग्रह पर पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है । विज्ञान की सहायता से आज का मानव सागर का अन्तराल चीर कर उसके अन्तराल की खोज करने लगा है । पनडुब्बी जहाज से अतल सागर की थाह लगाई है । आसमान में उड़कर सारी दुनियाँ की परिक्रमा करना सम्भव हो गया है ।

आधुनिक विज्ञान ने सोचने-विचारने, आंकड़े इकट्ठे करने, बड़े से बड़ा हिसाब-किताब रखने जैसे काम भी कम्प्यूटर की सहायता से सम्भाल रखे हैं । इनके अतिरिक्त इसने इंजीनियरिंग, परिवार नियोजन आदि के क्षेत्रों में भी चमत्कारिक प्रगति कर ली है । आज का वैज्ञानिक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष तक बनाने में सक्षम है । इस प्रकार विज्ञान के बढ़ते हुए कदमों और चमत्कारों के कारण आज दूर कुछ भी नहीं रह गया है । आज मोबाइल ने सारे संसार को कमरे में बंद कर दिया है । कृषि की दिशा में क्रांति लाई गई है । कृषि के तरह-तरह के उपकरण, उर्वरक आदि के प्रयोग से हरित क्रांति का युग आ गया है ।

विज्ञान एक शक्ति है जिसका प्रयोग हम अच्छे या बुरे रूप में कर सकते हैं । इसे जनहित में लगाकर विश्व को नन्दन वन बना सकते हैं अन्यथा थोड़ी-सी विवेकहीनता ही विश्व को मरुस्थल में बदल सकती है । वास्तव में विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है । इसका दुरुपयोग ही मानव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा । तार, टेलीफोन और बेतार के तार और इन सबसे बढ़कर मोबाइल द्वारा संवाद भेजने में बड़ी सुविधा हो गई है । यातायात के साधनों के विकास से संसार की दूरी बहुत छोटी हो गई है ।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अनेक चमत्कार किए हैं। जिन रोगों का पहले इलाज सम्भव नहीं था, इंजैक्शन तथा शल्य चिकित्सा द्वारा उनका निदान सम्भव हो गया है। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अनेक कृत्रिम अंग बखूबी लगाए जाने लगे हैं। एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउंड द्वारा सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अंगों के चित्र खींचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि आँखों का आप्रेशन व इसका दूसरे के शरीर में प्रत्यारोपण भी सम्भव हो गया है।

मुद्रण यंत्र भी विज्ञान की ही देन है जिससे पुस्तकों व समाचार पत्रों की अनेक प्रतियाँ थोड़े ही समय में मुद्रित की जाने लगी हैं। इस युग का सबसे महत्त्वपूर्ण आविष्कार विद्युत है जिससे हमें प्रकाश, शक्ति व तापमान प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के लिए एक प्रकार का वरदान ही है। परन्तु इसका दुरुपयोग व्यक्ति को विनाश की ओर धकेल सकता है। एक निम्न स्तरीय मस्तिष्क वाला व्यक्ति घर बैठे ही सम्पूर्ण विश्व को एक बटन दबा कर नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। अतः आवश्यकता है कि विज्ञान पर नियंत्रण बुद्धिजीवी वर्ग का ही रहे। व्यक्ति विज्ञान का सदोपयोग करें तभी इसका भविष्य उज्ज्वल होगा।

25. कम्प्यूटर तथा इन्टरनैट

कम्प्यूटर इस शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आज कम्प्यूटर हिसाब-किताब एवं सोच-विचार के वे सभी कार्य करने लगा है जो कभी मानव-मस्तिष्क ही किया करता था। इसी कारण कम्प्यूटर को 'मशीनी मस्तिष्क' कहा जाने लगा है। इसके विकास का कार्य काफी समय से चला आ रहा है और आज भी वैज्ञानिक इससे ऐसे कार्य लेने की कोशिश में हैं, जो मानव के बूते के बाहर हैं।

कम्प्यूटर को आज प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं द्रुत विकास के लिए आवश्यक माना जाने लगा हैं शिक्षा, व्यवसाय, शासन-प्रशासन सभी में आज कम्प्यूटर प्रणाली की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जा रही है, बल्कि उसे यथासम्भव अपनाया भी जा रहा है। मानव-मस्तिष्क से भी बढ़कर तीव्रगति से कार्य करने वाला कम्प्यूटर वास्तव में अंक-गणित पद्धति की एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक देन है।

आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, हालैंड, स्वीडन, ब्रिटेन आदि देशों में इसे मानव-मस्तिष्क का दर्जा मिल चुका है। भारत में कम्प्यूटर विज्ञान का

तीव्रता से विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में उसकी सहायता लेकर कार्यक्षमता को बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में सबसे पहला कम्प्यूटर सन् 1961 ई० में आया था। तब से आज तक दूसरे देशों से बहुत से कम्प्यूटर हमारे देश में आ चुके हैं। अब तो कम्प्यूटर यहाँ भी बनाए जाने लगे हैं।

आज सरकारी-गैर सरकारी प्रत्येक क्षेत्र में बड़े व्यापक स्तर पर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। इसका प्रयोग कारखानों में कल-पुर्जे बनाने, डाक छाँटने, रेल मार्ग संचालन करने, टिकट बाँटने, शिक्षा, मौसम की जानकारी, वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्तरिक्ष विज्ञान, परिवहन व्यवस्था, विमान परिवहन, व्यापार चिकित्सा, वीडियो खेल, मुद्रण कला, लेखा-जोखा आदि का हाल जानने आदि के लिए इसका प्रयोग होने लगा है। बिजली के बिल बनाने व भेजने में इनका उपयोग किया जा रहा है, बैंकों में हिसाब-किताब रखने, पर्चों को जाँचने में भी इनका प्रयोग हो रहा है। इसकी सहायता से पुस्तकें महीनों के स्थान पर दिनों में तैयार हो जाती हैं। समाचार पत्रों के प्रकाशन और समूचे क्रिया-कलापों का आधार तो कम्प्यूटर बन ही चुका है।

आज के युग में कम्प्यूटर लगभग सभी क्षेत्रों में हमारी सहायता कर रहा है। इसके इस महत्त्व को देखते हुए, विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को इसका शिक्षण दिया जा रहा है। इससे कई बार इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं जिस कारण इस पर मानव-मस्तिष्क जैसा विश्वास तो नहीं किया जो सकता है। परन्तु फिर भी यह मानव जीवन के लिए सबसे अधिक उपादेय है।

इंटरनैट की शुरुआत अमेरिका रक्षा विभाग तथा बैल लैब्स ने 1986 ई० में की थी। यह एक सूचना नैटवर्क है जिसमें करोड़ों कम्प्यूटर उपग्रहों, फाईबर तन्तु केबलों तथा टेलीफोन लाइनों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। सूचना के आदान-प्रदान, टेलीफोनी, वैबसाइटों पर भ्रमण (सर्फिंग) तथा चलचित्रों वाली सारी गतिविधियों हेतु इन्टरनैट का प्रयोग होने लगा है। अब इन्टरनैट किसी एक व्यक्ति विशेष या देश की बपौती नहीं है। इन्टरनैट का स्वामी तो कोई भी नहीं है। परन्तु इसके कार्य प्रचालन हेतु इन्टरनैट सोसाइटी का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं इन्टरनैट के तकनीकी पक्षों व तकनीकों के प्रबन्धन के लिए बनाई गई है।

भारत में इन्टरनैट 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटिड के जरिये आया था। भारत में कम्प्यूटरों की संख्या काफी कम है व इन्टरनैट

उपभोक्ताओं की संख्या तो और भी कम है। परन्तु अब यह प्रवृत्ति बदल रही है और भारत में भी इन्टरनैट का उपयोग करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। 1999 में जब से टेलीकाम क्षेत्र की निजी कम्पनियों के लिए खोल दिया गया, तब से अनेक नए सेवा प्रदाता सामने आए। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं।

भारत के उद्योगपतियों को इन्टरनैट से काफी लाभ हो सकते हैं। सूचना के आदान-प्रदान के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक कामर्स की तकनीक का प्रयोग करके छोटे व बड़े उद्यमी तथा उद्योगपति अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। उपभोक्ता उत्पादों के लेन-देन के लिए इन्टरनैट से बढ़िया कुछ भी नहीं। यूरोप और अमेरिका में तो ई-काम अपने पूरे यौवन पर है। परन्तु भारत में ई-काम की उन्नति दर काफी कम है।

इन्टरनैट ने युवाओं के लिए रोजगार व शिक्षा के लिए अनेक आसान मार्ग खोल दिये हैं। अब सूचना के आदान-प्रदान, शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक मेलजोल तथा उन्मुक्त व्यापार का पर्यायवाची इन्टरनैट ही है। युवक व युवतियां इन्टरनैट से सम्बन्धित तकनीकों में पारंगत होकर अच्छी नौकरियां पाते हैं।

भारत सरकार भी इन्टरनैट व उससे सम्बद्ध तकनीकों के प्रसार व उनके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के विषय में सजग है। इन्टरनैट के भारत में प्रसार के लिए सरकार ने छात्रों, कम्प्यूटर उत्पादकों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कई प्रोत्साहन दिये हैं। इन्टरनैट कम्पनियों ने इन्टरनैट समय की दरें घटा दी हैं।

इन्टरनैट पर सर्फिंग करने के लिए कम्प्यूटर, मोडम, टेलीफोन की लाईन, इन्टनैट से सम्बद्धता तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। छठी कक्षा या इससे ऊपर की कक्षाओं के छात्र सरलता से इन्टरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इन्टरनैट पर मनोरंजन भी खूब होता है। परन्तु कुछेक वेबसाइटों पर प्रसारित जानकारी का बच्चों की मानसिकता पर कुप्रभाव पड़ सकता है। छात्र इन्टरनैट के वैबसाइटों का भ्रमण कर सकते हैं, मित्रों के साथ ई-मेल का आदान-प्रदान कर सकते हैं तथा आंकड़ों और तथ्यों को देख कर उनको अपने कम्प्यूटरों पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। कई समाचार एवं पत्रिकायें इन्टरनैट पर भी प्रकाशित होने लग गई हैं। हमें कम्प्यूटर एवं इंटरनैट का उचित प्रयोग करना चाहिये और इन का दुरुपयोग हानिकारक है तभी इनका

2. पत्र-लेखन (LETTER-WRITING)

पत्र लिखना भी एक कला है। जिस प्रकार संगीत, नृत्य इत्यादि के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उसी प्रकार पत्र लिखने के अभ्यास से ही अच्छा पत्र लिखा जा सकता है।

जिस प्रकार कुंजी ताला खोलने में सहायक होती है उसी प्रकार पत्र हृदय के अनेक द्वारों को खोलने में सहायक होते हैं। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को पत्र द्वारा प्रकट कर सकता है। यह दो व्यक्तियों के बीच हृदय सम्बन्धों को दृढ़ बनाने में सहायक होता है। अतः पत्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्त्व है। आज बहुत से उपन्यास भी पत्र शैली में लिखे जाते हैं। पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही प्रभावशाली होगा। एक अच्छे पत्र से लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती अपितु उससे उसका व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आता है। अच्छे पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिएं–

1. सरल भाषा शैली – पत्र में साधारणतः सरल और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। शब्द बड़ी सावधानी से प्रयोग में लाए जाएं। थोड़े में बहुत कहने की रीति को अपनाया गया हो। बात सीधे-सीधे ढंग से कही जाए। घुमा-फिरा कर लिखने से पत्र की शोभा बिगड़ जाती है।

2. संक्षेप विवरण – पत्र में व्यर्थ की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। जितनी बात प्रश्न में पूछी गई है उसकी व्याख्या करनी चाहिए। इधर-उधर की हांकने से पत्र में दोष आ जाता है। पत्र को पढ़ने वाले के दिमाग़ में सारी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, यह न हो वह किसी प्रकार की उलझन में फंसा हो।

3. प्रभावोत्पादक – पत्र ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़कर पढ़ने वाले पर प्रभाव पड़े। इसके लिए उसे पत्र के आरम्भ और अन्त को ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। इसके लिए पत्र लिखने के नियमों का पूरा पालन किया गया हो।

मुख्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं– (1) अनौपचारिक पत्र, (2) औपचारिक पत्र।

1. अनौपचारिक पत्र – ऐसे पत्रों में निजी या पारिवारिक पत्र आते हैं इन पत्रों को लिखते समय व्यक्ति को खुली छूट होती है कि वह जैसे चाहे पत्र लिख सकता है । ऐसे पत्र प्रायः अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं । ऐसे पत्रों का विषय प्रायः व्यक्तिगत होता है । कभी-कभी ऐसे पत्रों में उपदेश या सलाह भी दी जाती है । बधाई पत्र, शोक पत्र तथा सांत्वना पत्र भी इसी कोटि में आते हैं ।

2. औपचारिक पत्र – निजी या पारिवारिक पत्रों को छोड़ कर हम जो भी पत्र लिखते हैं वे सब औपचारिक पत्र होते हैं । ऐसे पत्र प्रायः उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन से हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता । औपचारिक पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं । जैसे–प्रशासनिक पत्र, कार्यालयी पत्र तथा व्यापारिक पत्र । औपचारिक पत्रों की भाषा नियमबद्ध और परम्परागत होती है । ऐसे पत्र अति संक्षिप्त होते हैं ।

पारिवारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें

(1) लिखने की शैली उत्तम हो अर्थात् पत्र में उचित स्थान पर ठीक शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे पढ़ने वाले को पत्र में लिखी बातें आसानी से समझ में आ जाए ।

(2) पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए । मुश्किल शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए ।

(3) पत्र संक्षिप्त होना चाहिए । ऐसा समझ कर पत्र लिखें मानो आप पर पत्र लिख रहे हैं ।

(4) पत्र में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए ।

(5) पत्र में केवल प्रसंग की ही बात लिखनी चाहिए । कहानियां लिखने नहीं लग जाना चाहिए ।

पारिवारिक पत्र के अंग

पारिवारिक पत्र लिखते समय पत्र के निम्नलिखित अंगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए–

(1) पत्र का आरम्भ – पत्र के आरम्भ में सबसे ऊपर दाहिनी ओर पत्र लिखने वाले का अपना पता लिखना चाहिए । पते के नीचे तिथि भी लिखनी

चाहिए । पत्र के बाईं ओर हाशिया छोड़कर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे यथा विधि सम्बोधन करना चाहिए ।

(2) पत्र का कलेवर – पत्र का कलेवर बहुत बड़ा नहीं चाहिए । पत्र में हर नया विचार अलग पैरा में लिखना चाहिए ।

(3) पत्र का अन्त – पत्र समाप्त होने पर लिखने वाले को पत्र के अन्त में दायीं ओर अपना नाम, पारिवारिक सम्बन्ध का स्वनिर्देश भी लिखना चाहिए ।

(2) औपचारिक पत्र

ऐसे पत्र जो शासकीय कामकाज से संबंधित होते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं । ऐसे पत्रों में पत्र लिखने वाला कोई प्रार्थना या शिकायत अथवा सुझाव प्रस्तुत करता है । याद रखिए अधिकारियों को शिकायत भी प्रार्थना के रूप में ही की जानी चाहिए । अधिकारियों को लिखे जाने वाले औपचारिक पत्रों के निम्नलिखित अंग हैं ।

1. शीर्षक
2. पत्र संख्या एवं दिनांक
3. प्रेषिती का नाम व पता
4. विषय
5. संदर्भ
6. सम्बोधन
7. पत्र का मूल भाग
8. प्रशंसनीय अन्त
9. स्वनिर्देश एवं हस्ताक्षर
10. प्रेषक का नाम और पता

पत्र लिखते समय सब से पहले पत्र के बायें कोने में हाशिये के साथ सेवा में लिखना चाहिए । दूसरी पंक्ति में कुछ जगह छोड़ कर जिस अधिकारी को पत्र लिखा जाना है उसका पदनाम फिर अगली पंक्ति में उसका पता लिखना चाहिए ।

अगली पंक्ति में विषय शब्द लिख कर (:) विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है तथा पत्र का विषय लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में सम्बोधन प्रायः महोदय, प्रिय महोदय तथा श्रीमान जी लिखे जाते हैं।

पत्र में जहाँ से आपने अधिकारी का पदनाम लिखा है उस के ठीक नीचे से सम्बोधन सूचक शब्द के बाद वाली पंक्ति में –पत्र लिखना आरम्भ करना है। पत्र की दूसरी पंक्ति आप ने वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से आप ने सेवा में लिखा था। पत्र में पहले अनुच्छेद को क्रम नहीं दिया जाता। उसके बाद के अनुच्छेदों में 2, 3, 4 क्रम दिया जा सकता है। पत्र के अन्त में धन्यवाद सहित आदि शब्दों का प्रयोग करके समाप्ति में दाईं ओर भवदीय लिख कर हस्ताक्षर करने चाहिए।

1. अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए उसे कुसंगति से बचने की चेतावनी दीजिए।

211, माडन टाऊन,
पटियाला।
21 जनवरी, 2017

प्रिय अनुज

चिरंजीव रहो।

तीन मास से तुम्हारा कोई पत्र प्राप्त न हुआ। मेरा विचार था कि तुम अपनी पढ़ाई में लीन होंगे। परन्तु तुम्हारे प्राध्यापक महोदय के पत्र ने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अपने पहले पत्र में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की थी। परन्तु आज उन्होंने यह कहते हुए बड़ा दुःख हुआ कि यदि तुम इसी प्रकार से चलते रहे तो तुम्हारा परीक्षा में पास होना भी बहुत असम्भव हो जाएगा। कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी संगति अच्छे बच्चों के साथ नहीं है।

प्रिय मोहन! मैं अपने प्रत्येक पत्र में तुम से यही अनुरोध करता रहा हूँ कि कुसंगति से बच कर रहना चाहिए। तुम्हें केवल चलचित्र देखने का ही व्यसन नहीं अपितु धूम्रपान भी करने लगे हो। जानते हो पिता जी क्या कहा करते थे–

''सुपुत्र और सुगंधित वृक्ष की एक ही दशा होती है। जिस प्रकार सुगंधित वृक्ष अपनी गंध से सारे वन को सुवासित कर देता है उसी प्रकार सुपुत्र अपने शुभ कर्मों के फूलों की सुगंध से सारे कुल एवं राष्ट्र को सुवासित बना दिया करता है।''

बुरी संगति का प्रभाव बड़ा भयंकर होता है। सभी महापुरुषों ने कुसंगति से बचने की प्रेरणा दी है। सत्संगति के बिना विवेक नहीं हो सकता। अतः प्रिय अनुज! कुसंगति को छोड़कर सत्संगति से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दो। बुरी आदतों का त्याग करो और अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना। कुछ परीक्षोपयोगी पुस्तकें भेज रहा हूँ।

तुम्हारा शुभ चिन्तक,
सोहन।

2. अपने छोटे भाई को पत्र लिखो जिसमें व्यायाम का महत्त्व बताया गया हो।

425, बंजमन रोड,
लुधियाना।
5 जनवरी, 2017

प्रिय अनुज,

चिरंजीव रहो।

माता जी ने अपने पत्र में लिखा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। इससे मुझे बड़ी चिन्ता हुई है। प्रिय अनुज! स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। इसके अभाव में जीवन का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। खाने-पीने का आनन्द भी स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकता है। यह ठीक है कि तुम्हारा अध्ययन पूर्ववत् चल रहा है। परन्तु गिरते स्वास्थ्य का प्रभाव तुम्हारे अध्ययन पर भी पड़ सकता है। अतः मन और मस्तिष्क को बलवान् बनाने के लिए स्वास्थ्य का बड़ा योगदान रहता है।

दुर्बलता एक प्रकार का अभिशाप है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्ति-सम्पन्न बनाने के लिए व्यायाम की परमावश्यकता है। व्यायाम एक औषधि है। व्यायाम से शरीर सुन्दर तथा सहनशील बनता है। स्वच्छ रक्त का संचार

होता है तथा पाचन शक्ति बढ़ती है। अतः तुम नियमित रूप से व्यायाम करो। प्रातः भ्रमण की आदत डालो और किसी वाटिका में जाकर प्राणायाम करो। इससे शरीर में स्फूर्ति भी बढ़ेगी और कार्य करने की क्षमता भी। आशा है तुम अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करोगे तथा नियमित व्यायाम की एक अच्छी शुरुआत करोगे।

माता जी को प्रणाम।

तुम्हारा हितैषी,
राम लाल।

3. अपने मित्र को पत्र लिखो जिसमें दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए उसके सक्रिय सहायेाग की प्रार्थना की गई हो।

जी 18, लाजपत नगर,
नई दिल्ली।
7 जनवरी, 2017

प्रिय मित्र रमेश

जयहिन्द!

प्रिय मित्र, कल समाचार-पत्र में एक नवविवाहिता के करुण अन्त की कहानी पढ़कर हृदय पसीज उठा। उसके अन्त का कारण था मायके से दहेज कम लाना। दहेजप्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। इसके भयंकर परिणाम पर मेरा मन क्षुब्ध हो उठता है। इस प्रथा का निवारण ही वैवाहिक जीवन की सुखद बना सकता है।

एक समय था जब यह प्रथा अपने पवित्र बंधन में बंधी थी। कन्या विवाह के समय अपने पिता से आशीर्वाद के रूप में अनेक जीवनोपयोगी वस्तुएं एवं आभूषण प्राप्त करती थी जिसका श्वसुर कुल में उत्तम सम्मान किया जाता था। परन्तु आजकल इस पवित्र परम्परा में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो गये हैं। आज कन्या के कुल, शील, शिक्षा और सौन्दर्य की अपेक्षा उसके पिता की तिजोरी पर ध्यान दिया जाने लगा है।

कन्या का विवाह अनिवार्य है । उसे घर पर नहीं बिठाया जा सकता । माता-पिता को सुयोग्य वर हेतु दौड़-धूप के साथ ऋण का बोझ भी उठाना पड़ता है । यदि वर-पक्ष सन्तुष्ट न हुआ तो कन्या को अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाने लगता है । इस से तंग आकर कुछ लड़कियां आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए विवश हो जाती हैं ।

समय-समय पर अनेक समाज सुधारकों ने इस प्रथा का विरोध भी किया । ओजस्वी भाषण भी दिए जाते रहे फिर भी कोई विशेष लाभ न हो सका । हमने एक युवा-समिति संगठित की है । इस समिति का लक्ष्य दहेज लेने तथा दहेज देने का विरोध करना है । दहेज न लेने का संकल्प लेने वाला युवक ही इस समिति का सदस्य बन सकता है ।

प्रिय मित्र ! इस कार्य के लिए आपके सक्रिय सहयोग की भी आवश्यकता है । आप भी वहाँ अपने मित्रों के सहयोग से एक ऐसी समिति बनाएं । अपने मित्रों को इस कार्य से परिचित कराओ । जब सारे भारत में इए प्रकार की समितियाँ बन जाएंगी । तो निश्चित् ही इस कुप्रथा पर अंकुश लग जाएगा । समिति द्वारा निर्मित नियमावली की एक प्रति भी इस पत्र के साथ प्रेषित कर रहा हूँ । आशा है आप इस कार्य में अपना सहयोग देंगे ।

आपका मित्र,

गणेश ।

4. आपके मुहल्ले की समय पर सफाई नहीं होती । अपने नगर की नगरपालिका के प्रधान को पत्र लिखकर मुहल्ले की सफाई न होने की शिकायत कीजिए ।

सेवा में,

मान्यवर स्वास्थ्य अधिकारी,

नगर निगम,

पंचकूला ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं सैक्टर 25 का एक निवासी हूँ । यह स्थान सफाई की दृष्टि से पूरी तरह उपेक्षित है । इसे देख कर ऐसा लगता है जैसे कि यह नगर निगम के क्षेत्र से बाहर है । कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता । यदि

कभी दिखाई भी पड़ जाए तो उसके व्यवहार में बड़ी अशिष्टता पाई जाती है। नालियों का भी ठीक प्रबन्ध नहीं है। पानी निचले स्थान पर आकर रुक जाता है। मक्खी मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने का भय बना रहता है।

आप से नम्र निवेदन है कि आप एक बार स्वयं इस नरक का निरीक्षण करें। तभी आप हमारी कठिनाई का अनुभव कर पायेंगे। एक बार पहले भी इस विषय पर पत्र लिख चुके हैं। परन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। कृपया सफाई कर्मचारी को भी चेतावनी देने का कष्ट करें। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और सैक्टर 25 की सफाई का उचित प्रबन्ध करेंगे।

भवदीय,
राम लाल,
425/25,
पंचकूला।

5. किसी समाचार-पत्र के प्रधान सम्पादक के नाम एक पत्र लिखो जिसमें उस पत्र के सिनेमा संस्करण को बंद करने की प्रार्थना की गई हो।

सेवा में,

प्रधान सम्पादक,
दैनिक भास्कर,
चाण्डीगढ़।

मान्यवर,

आपका समाचार पत्र देश के लोकप्रिय पत्रों में से एक है। इसमें भारत की ही नहीं अपितु विश्व भी की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक संस्करण बड़ा आकर्षक होता है। लेकिन इस पत्र का सिनेमा संस्करण इसके अन्य संस्करणों को धूमिल कर रहा है। पाठकों पर इस संस्करण का बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस संस्करण के सबसे अधिक पाठक विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र ही हैं। वे चलचित्रों के अत्यंत शौकीन हो गये हैं और अपने गन्तव्य से बिल्कुल

भटक चुके हैं। वे अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के प्रेमप्रसंगों पर अपना ध्यान लगाने लगते हैं।

आप जैसे देशभक्त जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं विद्यार्थियों की समस्याओं से परिचित ही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षा के महत्त्व को नजरअन्दाज न करते हुए आप अपने समाचार पत्र के सिनेमा संस्करण को बंद करने का आदेश देने की कृपा करें। कितना अच्छा होगा कि आप इसके स्थान पर देश प्रेम का संस्करण निकालना आरम्भ कर दें। यह विद्यार्थी और राष्ट्र हित में एक सार्थक कदम होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी विवशताओं से परिचित होंगे तथा सिनेमा संस्करण को बन्द करवा कर देश प्रेम के साहित्य से कॉलम को पूर्ण करेंगे। यदि आपके इस संस्करण से विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण हो पाया तो आप राष्ट्र के कर्णधार कहलायेंगे। इससे अधिक देश प्रेम का उदाहरण और क्या हो सकता है?

धन्यवाद सहित।

भवदीय,
सोहन लाल
2012, सैक्टर 7
चण्डीगढ़।

3. कहानी लेखन

1. संगठन में शक्ति

एक वृद्ध किसान था। उसके चार पुत्र थे। वे सदा आपस में झगड़ते रहते थे। एक बार किसान बीमार पड़ गया। उसे लगा कि उसका बचना कठिन है तो उसने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया। फिर उनसे लकड़ी की तीलियाँ मंगवाई। उसके पुत्र जैसे ही लकड़ी की तीलियां लाए, किसान ने उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया।

अब किसान ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें बारी-बारी लकड़ियों के उस गट्ठे को तोड़ने के लिए कहा। परन्तु उनमें से कोई भी पुत्र

उस गट्ठे को न तोड़ सका । तब वृद्ध किसान ने उस गट्ठर को खोलकर बेटों से कहा कि एक-एक तीली उठाकर वे उसे तोड़े । किसान के पुत्रों ने वे सभी तीलियाँ एक-एक करके तोड़ डाली ।

तत्पश्चात् किसान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि यदि वे लकड़ी की तीलियों की तरह संगठित होकर रहेंगे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । परन्तु यदि वे असंगठित रहे तो कोई भी उन्हें नष्ट कर देगा । तब से वे सभी भाई मिलकर रहने लगे ।

शिक्षा – एकता में बल है ।

2. लोमड़ी और सारस

किसी वन में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे । दोनों गहरे मित्र थे । एक दिन लोमड़ी को सारस से परिहास करने की सूझी । लोमड़ी ने सारस को खाने पर बुलाया । सारस लोमड़ी के घर ठीक समय पर पहुँच गया । लोमड़ी ने सारस को बड़े प्रेम से अपने घर में बिठाया । लोमड़ी ने भोजन के रूप में सब्जी की तरी, दो चपटी थालियों में परोसी । सारस अपनी लम्बी चोंच के कारण उस तरी को नहीं पी सका, परन्तु लोमड़ी अपनी जीभ से उसे जल्दी ही चाट कर पी गई । सारस को बहुत क्रोध आया और वह भूखा ही घर लौट आया ।

कुछ दिन बाद बदले की भावना से सारस ने भी लोमड़ी को खीर की दावत दे डाली । खीर का नाम सुनकर लोमड़ी सारस के यहाँ ठीक समय पर पहुँच गई । सारस ने भी हँसकर उसका स्वागत किया और प्रेम से बिठाया । सारस ने स्वादिष्ट खीर को दो लम्बी गर्दन वाली बोतलों में परोस रखा था । उनमें से एक बोतल लोमड़ी के आगे रख दी और दूसरी बोतल में से सारस अपनी लम्बी चोंच के जरिए स्वादिष्ट खीर को खाने लगा । परन्तु बेचारी लोमड़ी मुँह ताकती रह गई । थोड़ी देर पश्चात् वह भूखी घर लौट आई । उसे अपनी करनी का फल मिल गया ।

शिक्षा – जैसा करोगे वैसा भरोगे ।

3. घमण्डी का सिर नीचा

गर्मी का दिन था। एक हिरण एक झरने पर पानी पीने आया। ज्यों ही वह पानी पी रहा था, उसने झरने के साफ पानी में अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई देखकर हिरण ने बड़ी हैरानी से कहा, मेरे सींग कितने सुन्दर हैं। परन्तु मैं अपनी भद्दी और पतली टाँगों की ओर देखकर बहुत शर्मिन्दा हूँ। काश ! मेरी टाँगें भी मेरे सीगों के समान सुन्दर होती।

ज्यों ही वह ऐसा सोच रहा था कि अचानक उसने एक शिकारी की तथा शिकारी कुत्तों के भोंकने की आवाज़ सुनी। वह अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। वक्त की बात है कि जिन टाँगों की वह बुराई कर रहा था उन्हीं टाँगों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। परन्तु जिन सींगों पर उसे बहुत घमण्ड था, एक झाड़ी में फंस गए। उसने अपने आप को झाड़ियों से निकालने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु सब व्यर्थ। शिकारी उसके पास पहुँच गए और सरलता से पकड़ लिया और मार कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये।

इस प्रकार उन सुन्दर सींगों ने जिन पर उसे बहुत घमण्ड था, उसे मौत के मुँह में पहुँचा दिया। अतः हमें किसी पर अधिक घमण्ड नहीं करना चाहिए।

शिक्षा – जैसा दिखता है वास्तव में वैसा नहीं होता है।

4. ईश्वर जो करता है वह अच्छा करता है

एक राजा के मंत्री को ईश्वर पर बहुत भरोसा था। वह सदा यही कहा करता था कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। एक बार उस मंत्री का लड़का मर गया। जब लोग उसके पास सहानुभूति प्रकट करने आए तो उसने कहा–ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। फिर एक बार राजा की अँगुली चाकू से कट गई। तो उस मंत्री ने तब भी यही कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इस पर राजा उस मन्त्री से नाराज हो गया और उसे अपने महल से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उस मंत्री को बुला लिया और उसे अपने साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए ले गया। वहाँ

राजा और मंत्री को अकेले देखकर डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उन्हें देवी की बलि के लिए ले गए ।

बलि देने से पहले दोनों की पूरी जानकारी की तो पता चला कि मंत्री का पुत्र नहीं है और राजा की अंगुली कटी हुई है । इस पर उन्होंने दोनों को छोड़ दिया । उन्होंने कहा कि देवी पुत्रहीन तथा अंगहीन की बलि नहीं लेती है । तब राजा ने मंत्री से कहा कि तुमने ठीक ही कहा था कि ईश्वर जो करता है, अच्छा ही करता है ।

शिक्षा – ईश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का संकट नहीं आता है ।

5. राबर्ट ब्रूश और मकड़ी

राबर्ट ब्रूश एक देश का राजा था । एक बार उसके देश पर शत्रुओं का अधिकार हो गया था । वह अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहता था । उसने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया । परन्तु वह पराजित हो गया । वह युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया । वह एक गुफा में जाकर छिप गया । वहाँ उसने एक मकड़ी को देखा । वह मकड़ी की ओर देख रहा था कि उसे अचानक देखा कि मकड़ी अपने जाले से नीचे गिर पड़ी ।

मकड़ी ने अपने जाले में पहुँचने का पूरा प्रयत्न किया, परन्तु वह इसमें सफल न हो सकी । जब भी वह चढ़ने का प्रयत्न करती, वह प्रत्येक बार फिसलती और नीचे गिर पड़ती । ऐसा कई बार हुआ । इस पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी । उसने बार-बार प्रयत्न किया । अन्त में वह अपने जाले तक पहुँच ही गई ।

यह देखकर राबर्ट ब्रूश बड़ा हैरान हुआ । उसने इससे एक पाठ सीखा । एक मकड़ी बार-बार प्रयत्न करने पर यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है तो मैं राजा होकर भी विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सकता । तभी वह उठा और उसने अपनी सेना संगठित की । फिर उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया । अन्ततः उसे सफलता मिली । उसने शत्रु पर विजय भी

प्राप्त की तथा अपना खोया हुआ राज्य भी वापिस ले लिया ।

शिक्षा – बार-बार प्रयत्न करने से सफलता मिल जाती है ।

6. घमण्डी का सिर नीचा

किसी गाँव में एक खेत के पास एक खरगोश रहता था । उसे अपनी गति पर बहुत गर्व था । उसे अचानक एक दिन एक कछुआ मिला । वह अपनी धीमी गति से जा रहा था । खरगोश को उसकी गति देखकर बड़ी हंसी आई और उससे कहा कि तुम तो बहुत धीमी गति से चलते हो । कछुए ने यह सुनकर टाल दिया । खरगोश ने फिर कछुए को ऐसा ही कहा । अब तो कछुए को क्रोध आ गया और उसने खरगोश से कहा, ''तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, लेकिन दौड़ में मुझ से नहीं जीत सकते हो ।''

खरगोश को अपनी सुन्दरता, बुद्धि और फुर्ती पर बड़ा गर्व था । अतः कछुए की बात सुनकर खरगोश ठहाका मार कर हँस पड़ा । और कहा, ''क्या मजाक करते हो?'' इस पर कछुए ने कहा, 'चलो प्रयत्न करते हैं । कल प्रातः आ जाना हम एक दौड़ करेंगे ।''खरगोश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली । अगले दिन प्रातः दौड़ का स्थान और दूरी का निश्चय करके दौड़ आरम्भ कर दी । कुछ दूरी पर एक पेड़ को जीत का बिन्दु तय किया गया । क्योंकि खरगोश को अपनी गति का बड़ा गर्व था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि यहाँ तो मेरी जीत निश्चित ही है ।

दोनों ने निश्चित समय पर दौड़ आरम्भ कर दी । खरगोश तेज गति से दौड़ता हुआ कुछ ही समय में बहुत दूर निकल गया । कछुआ धीमी गति से जा रहा था इसलिए पीछे रह गया । थोड़ी देर बाद खरगोश ने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है । अतः वह पास ही एक झाड़ी में लेट गया । उस समय ठंडी हवा चल रही थी । खरगोश को नींद आ गई । कछुआ धीमी गति से चलता हुआ सोते हुए खरगोश के पास से गुजर गया और धीरे-धीरे आगे बढ़ता ही गया ।

अतः कछुआ खरगोश से पहले गन्तव्य स्थन पर पहुँच गया, जबकि खरगोश सोता रहा । जब खरगोश सो कर उठा तो वह तेज दौड़ता हुआ निश्चित स्थान पर पहुँचा तो देखा कि कछुआ पहले से ही वहाँ उपस्थित है ।

खरगोश को अपनी हार पर बहुत पश्चाताप हुआ ।

शिक्षा – सहज पके सो मीठा होवे ।

7. जहाँ चाह वहाँ राह

गर्मी का दिन था । उस दिन एक कौवा प्यास से परेशान था । वह पानी की तलाश में इधर से उधर उड़ता रहा । परन्तु उसे कहीं पानी नहीं मिला । अन्त में उसे एक बाग़ में एक घड़ा दिखाई दिया । वह, यह देखने के लिए कि घड़े में पानी है या नहीं, उसके पास गया । उसने घड़े में झाँककर देखा तो पाया कि उसकी तली में बहुत कम पानी है । उसने उस पानी को पीने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु सब व्यर्थ रहा । फिर उसने घड़े को पलटने की कोशिश की परन्तु वह बहुत भारी था ।

तब उसने देखा कि घड़े के पास कुछ कंकड़ पड़े थे । उसे एक उत्तम युक्ति सूझी । उसने उन कंकड़ों को एक-एक करके उठाया और उस घड़े में डालने लगा । ज्यों-ज्यों वह कंकड़ घड़ों में डालता गया, पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया । अन्त में पानी घड़े के मुँह तक आ गया । तब उसने पानी पीया और अपनी प्यास बुझाई । उसकी कोशिश का उसको अच्छा फल मिला ।

शिक्षा – आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है ।

8. दो मित्र और रीछ

एक समय की बात है कि दो घनिष्ठ मित्र इकट्ठे कहीं यात्रा पर जा रहे थे । जाते-जाते उनको एक जंगल से गुजरना पड़ा । जंगल में उनका एक रीछ से सामना हो गया । ज्यों ही उन्होंने रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनमें से एक मित्र शीघ्रता से पास के पेड़ पर चढ़ गया और अपने आप को पत्तों में छिपा लिया । दूसरा मित्र अकेला नीचे रह गया । दूसरे मित्र को जब कुछ न सूझा तो वह जमीन पर लेट गया । लेटकर उसने अपनी सांस को इस प्रकार रोक लिया जैसे वह मर गया हो ।

थोड़ी देर में रीछ उस जमीन पर लेटे हुए मित्र के पास पहुँचा । रीछ ने उस आदमी को सूंघा और उसे मृत समझकर छोड़कर चला गया । जैसे ही

रीछ दृष्टि से ओझल हो गया, ऊपर वाला आदमी नीचे आया। वह अपने मित्र के पास आया और उससे कहा कि उठो, रीछ चला गया है। जब वह उठा तो ऊपर से आने वाले मित्र ने पूछा, ''बताओ कि रीछ ने तुम्हारे कानों में क्या कहा था?'' दूसरे मित्र ने उत्तर दिया – ''ओह! उसने मुझे बहुत काम की बात कही है। उसने मुझसे कहा है कि ऐसे मित्र के साथ कभी यात्रा पर मत जाओ जो तुम्हें खतरे के समय अकेला छोड़ जाए।''

शिक्षा –सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय काम आए।

4. सार लेखन (Precis Writing)

सार लेखन एक कला है। किसी लेख, निबन्ध, कथा अथवा किसी कार्यालयी पत्र के अंशों को थोड़े-से शब्दों में व्यक्त करना ही सार लेखन कहलाता है। सार लेखन के लिए लेखक में ग्राहिक शक्ति और निर्णयात्मक बुद्धि का होना नितान्त अपेक्षित है जो उसको चिन्तन अभ्यास से प्राप्त होती है। अभ्यास मात्र से हम किसी बात को संक्षेप में लिखने में सिद्धहस्त हो सकते हैं। हमारे लेखन में सामासिकता आ जाती है। विषय के मूल भावों को ठीक-ठीक समझने की क्षमता का विकास होता है।

सार लेखन : अर्थ एवं परिभाषा

सार लेखन को संक्षेपण भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है 'छोटा कर देना'। इसकी परिभाषा संक्षेप में इस प्रकार दी जा सकती है–

किसी विस्तृत अवतरण के सारभूत तथ्यों को ग्रहण कर उन्हें एक तारतम्य में सजाने का नाम सार लेखन या संक्षेपण है।

समाज में या अपने जीवन में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है केवल काम की या पते की बात कहता है उसे लोग आदर की नजर से देखते हैं। विपरीत इसके जो व्यक्ति वाचाल हो उसका आदर कम होता है यही हाल लिखित सम्प्रेषण में सार लेखन का है।

सार लेखन : ध्यान देने योग्य बातें

सार लेखन के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए–

1. प्रश्न-पत्र में दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। हो सके तो उसे दो-तीन बार पढ़ जाइए ताकि आपको उसका मूल भाव समझ में आ जाए।

2. अवतरण का मूल भाव अथवा प्रतिपाद्य भली-भाँति स्पष्ट हो जाने पर हो सके तो अवतरण में आए महत्वपूर्ण तथा मूल विचार दर्शाने वाले शब्दों या वाक्यों को रेखांकित कर लें यदि आप इन पंक्तियों या विचारों को अलग से लिख लें तो बहुत ही अच्छा होगा।

3. समझ में आए तथ्यों को क्रमवार नोट कर लें। इससे सार लिखने में सहायता मिलेगी। परन्तु ध्यान रहे कि भाषा आपकी अपनी हो। मूल अवतरण में से ज्यों-के-त्यों वाक्य न उठाए गये हों।

4. मूल अवतरण में आए लम्बे-लम्बे शब्द जाल अथवा वाक्य समूहों, अलंकारों, मुहावरों तथा उदाहरणों को छोड़ा जा सकता है।

5. संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को यथा सम्भव साधारण वाक्यांशों के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए।

6. सार लेखन में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा अनेक वाक्यों के लिए एक का प्रयोग करना चाहिए।

7. सार लेखन में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। न ही मूल अवतरण में दिये गये मूल भाव या विचार के पक्ष या विपक्ष में कुछ लिखना चाहिए।

8. सार लेखन में प्रथम पुरुष तथा प्रत्यक्ष कथन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधारणतः अन्य पुरुष का ही प्रयोग करना चाहिए।

9. यदि सार लेखन के लिए शब्द संख्या निर्धारित न की गई हो तो आमतौर पर सार लेख के मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए।

10. सार लेखन पहले रफ लिखें। फिर आप उस रफ सार में मूल अवतरण के अनुसार क्रम-बद्धता और सुसंबद्धता का निरीक्षण करें कि कहीं विचारों का क्रम तो नहीं टूटा है। साथ ही व्याकरण, भाषा आदि की अशुद्धियों का भी निरीक्षण करें। तदुपरांत आप सार लिखें।

उदाहरण 1

लेखक का काम बहुत से अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता है। मधुमक्खियां मकरन्द संग्रह करने के लिए कोसों चक्कर लगाती है और अच्छे-अच्छे फूलों पर बैठ कर उनके रस लेती हैं। तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहें तो आप को भी यही वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अच्छे-अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए और उनकी बातों पर मनन कीजिए। फिर आपकी रचनाओं में से मधु का-सा माधुर्य आने लगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ठ मनन करके आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका ही हो जाएगा। मननपूर्वक लिखी हुई चीज के सम्बन्ध में जल्दी किसी को यह कहने का साहस ही न होगा कि यह अमुक स्थान ले ली गई है, या उच्छिष्ट है। जो बात आप अच्छी तरह आत्मसात् कर लेंगे वह फिर आपकी ही हो जाएगी।

कठिन शब्दों के अर्थ – मकरंद–फूलों का रस, वृत्ति–स्वभाव, मनन–विचार करना, यथेष्ठ–काफी, उच्छिष्ट–झूठा, आत्मसात्–अपना बना लेना।

सार लेख

लेखक और मधुमक्खी का समान प्रवृत्ति है। मधुमक्खी अनेक स्थानों से, अनेक पुष्पों से रस संग्रह करती है तो लेखक अनेक ग्रंथों और विचारों का मनन कर अपनी रचना में रस लाता है। विचार चाहे किसी के हों रचना में स्थान पाने पर वे लेखक ही हो जाएंगे।

शीर्षक – **लेखक और मधुमक्खी : समान प्रवृत्ति**

उदाहरण 2

आजकल हमारी शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध देश के कोने-कोने में आवाज उठाई जा रही है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि इस से समाज को कितनी हानि हुई, इससे देश कितना नीचे गिरा है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को पराधीन बनाकर सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना है। मैकाले ने इसका सूत्रपात शासन चलाने के निमित्त क्लर्क तैयार करने को

किया था । यह दोषपूर्ण है ।

आधुनिक शिक्षा व्यय साध्य है । उसकी प्राप्ति में सहस्रों रुपये व्यय करने पड़ते हैं । सर्वसाधारण ऐसी बहुमूल्य शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है यदि ज्यों-त्यों करे भी तो इससे उसकी जीविका का प्रश्न हल नहीं होता क्योंकि शिक्षित नवयुवकों में बेकारी बहुत बढ़ी हुई है। आधुनिक शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य विद्यार्थी को सभी विषयों का ज्ञाता बनाना है, पर किसी भी विषय का पंडित बनाना नहीं । सौभाग्य का विषय है कि आज इस शिक्षा-पद्धति में सुधारों की योजना की जा रही है और निकट भविष्य में यह हमारे राष्ट्र के कल्याण का साधन बनेगी ।

कठिन शब्दों के अर्थ – सूत्रपात – आरम्भ, निमित्त – लिये, व्ययसाध्य–खर्चीली, सर्वसाधारण – आम आदमी, जीविका – रोजी रोटी ।

सार लेख

वर्तमान शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध आज सभी एक स्वर हैं । इसने समाज का अनिष्ट किया है । वह केवल नौकरी के लिए क्लर्क तैयार करती है । यह अधिक खर्चीली हैं जीविका का प्रश्न हल करने में यह असफल है । बेकारी का जड़ है । सभी विषयों की पढ़ाई एक में भी प्रवीण नहीं बनने देती । देखें, नई योजनाएं इसमें कितना सुधार कर पाती हैं ।

शीर्षक – **शिक्षा पद्धति के दोष ।**

उदाहरण 3

मित्र का कर्त्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है–''उच्च और महान् कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम पर जाओ । यह कर्त्तव्य उसी से पूरा होगा, जो दृढ़-चित्त और सत्य संकल्प का हो । इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए, जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था । मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिस से हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके और यह विश्वास कर सें कि उन से किसी प्रकार का धोखा न होगा ।

कठिन शब्दों के अर्थ – सामर्थ्य–काम करने की शक्ति, संकल्प–निश्चय, मृदुल–कोमल, शिष्ट–सभ्य, सत्यनिष्ठ–सत्य पर चलने वाला ।

सार लेख

सच्चा मित्र बड़े कामों में सहायक होता है, प्रोत्साहन देता है, स्वार्थों से बचने की प्रेरणा भी देता है । सदा ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए । मित्र सभ्य, सच्चा, कोमल हृदयी, पुरुषार्थी होना चाहिए ताकि हम उस पर पूर्ण विश्वास कर सके ।

शीर्षक – **सच्चे मित्र की पहचान**

उदाहरण 4

भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता खोजती है । भारत के दार्शनिक अति प्राचीन काल से ही संसार और प्रकृति की अनेकता में एकता की तलाश करते हैं । राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी भारतीय विचारकों ने इसी एकता की खोज की है । इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह विशाल देश सब प्रकार की भौगोलिक अनेकताओं के होते हुए भी एक देश माना जाता है । सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न-जातियों और वर्णों के होते हुए भी भारत में विश्व-बन्धुता और उदारता के विचार एकता उत्पन्न करते हैं । राजनैतिक क्षेत्र में भारतवर्ष नाम ही देश की एकता का साक्षी है । अतः कहा जा सकता है कि संसार भर में भारत अपने ढंग का निराला देश है ।

P.U. 2002

सार लेख

अनेकता में एकता की खोज ही भारतीय संस्कृति है । भारतीय दार्शनिक प्रत्येक में ऐसी खोज करते रहे हैं । राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसी ही खोज की । इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकता से भरा यह देश एक है । अनेक जातियाँ, अनेक धर्म होने पर भी भारत एक है । 'भारतवर्ष' नाम ही एकता का प्रतीक है ।

शीर्षक – **भारतीय संस्कृति का गुण**

उदाहरण 5

देश के अन्दर की व्यवस्था निस्संदेह बड़ी चिन्ताजनक है । अखबारों में हम करीबी रोजाना संगठित समूहों द्वारा की गई हिंसा, लूटमार और आगजनी की घटनाओं के बारे में पढ़ते रहते हैं । इस तरह के काम और भी अधिक निन्दनीय हो जाते हैं जब छात्र विवेकहीन राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं । हाल ही में हुई राष्ट्रीयता एकता समिति की बैठक ने प्रधानमंत्री

की अध्यक्षता में सामयिक और रचनात्मक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों को दबाने के लिये भारतीय दण्ड-संहिता में भी कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।

P.U. 2011

सार लेख

हिंसा, लूटमार और आगजनी की घटनाएं देश की आन्तरिक व्यवस्था के लिये चिंताजनक है। किन्तु जब यह कार्य राजनीतिज्ञों के हाथों की कठपुतली बन कर विद्यार्थी करते हैं तो दुःख होता है। इन्हें दबाने के लिए राष्ट्रीय एकता समिति ने कुछ निर्णय लिए हैं तथा भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन प्रस्तावित है।

शीर्षक – **आन्तरिक व्यवस्था : प्रस्तावित सुधार।**

5. विस्तार लेखन (Expansion)

विस्तारण, संक्षेपण या सार लेखन का बिल्कुल उलटा है। कभी-कभी कोई दार्शनिक, लेखक या कवि अपनी बात प्रायः सूक्ति रूप में व्यक्त करता है जिसे हम कहते हैं कि गागर में सागर भरना। विस्तार लेखन में हमें उसी ग़ागर को उलट कर पुनः सागर में बदलना पड़ता है। कबीर की उलट बासियाँ इसका एक सुन्दर उदाहरण है। कबीर जी ने लिखा है 'ठाड़ा सिंह चरावैं गैया'। इसका साधारण अर्थ तो बस इतना ही है कि सिंह खड़ा गऊओं को चरा रहा है। किन्तु इस पंक्ति का भाव-विस्तार बहुत लम्बा है।

कभी-कभी कोई कवि या लेखक ऐसी बात कह देता है जिसका परोक्ष रूप में अर्थ कुछ और ही होता हैं उसी अर्थ को समझना या समझाना 'विस्तारण' कहलाएगा। जैसे–

स्वारथ, सुकृत न, श्रम वृथा देखि विहंग विचारि।
बाज पराये पानि परि, तू पच्छीन न मारि।। –बिहारी

इस दोहे में कवि ने परोक्ष रूप में राजा जयसिंह को मुगल सम्राट् की ओर से हिन्दू राजाओं के विरुद्ध युद्ध न करने की बात कही है।

विस्तारण की परिभाषा–

किसी सूक्ति, वाक्य या वाक्यांश, लोकोक्ति, कथन आदि में निहित

भावों की व्याख्या कर समझाना या लिखना विस्तारण कहलाता है ।

यहाँ हमें विस्तार लेखन के लिए जिन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, उनका उल्लेख करेंगे । विस्तार लेखन से पूर्व इन बातों को ध्यान में रखें–

1. सर्वप्रथम विस्तारण के लिए दिए वाक्य या वाक्यांश, सूक्ति अथवा काव्य-पंक्ति इत्यादि के निहितार्थ को भली प्रकार समझ लेना चाहिए–बिना अर्थ समझे विस्तार लेखन संभव नहीं है ।

2. जिस सन्दर्भ में कवि या लेखक ने विस्तारण के लिए दिया गया वाक्य या वाक्यांश अथवा काव्यांश कहा है, उसे जानना भी परमावश्यक है ।

3. दिए गए विषय में सम्बन्धित सभी विचारों को क्रमवार अलग से काग़ज पर लिख लें । दूसरे शब्दों में, यों कहा जा सकता है कि दिए गए विषय की रूप-रेखा सी बना लेनी चाहिए ।

4. दिए गए विषय से जुड़े कुछ उदाहरण अथवा कुछ काव्य पंक्तियाँ भी उस रूप-रेखा में शामिल कर लेनी चाहिए ।

5. तैयार की गई रूप-रेखा को एक बार फिर पढ़ जाइए । यदि कोई विचार सूझे तो उसे उसमें शामिल कर लीजिए । अनावश्यक-सी लगने वाली बातों को काट दीजिए और सारी रूप-रेखा के दिये गए विषय के संदर्भ में निरीक्षण कीजिए और विषय को ध्यान में रखते हुए सामग्री को पुनर्व्यवस्थित कर लें ।

विस्तार लेखन भी एक कला ही है । साथ ही इसमें विद्यार्थी के ज्ञान की भी परख होती है । अतः विस्तार लेख में निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें–

1. विस्तार लेख के सभी विचार शृंखलाबद्ध हों । लेख पढ़ कर ऐसा लगे कि जैसे माला में मोती पिरोये हों, भानमति का कुनबा न प्रतीत हो ।

2. विस्तार लेख अनुच्छेदों में बँटा हुआ होना चाहिए और एक अनुच्छेद में एक ही विचार लिखना चाहिए । जिस भाव या विचार की ऊपर के अनुच्छेद/अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी हो, उसे दोहराया न जाए । हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि विस्तार लेख में पुनरावृति कदापि नहीं होनी चाहिए ।

3. विस्तार लेख में भाषा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। परिष्कृत भाषा से हमारा तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसमें शिष्ट और सर्वमान्य शब्दों का प्रयोग किया गया हो। क्लिष्ट और संस्कृतिनिष्ट शब्दों का प्रयोग परीक्षक को इतने प्रभावित नहीं करते जितने सरल और आम शब्द करते हैं।

4. यथास्थान प्रासंगिक घटनाओं और उदाहरणों द्वारा कथन की पुष्टि करनी चाहिए।

5. मुहावरेदार भाषा का अपना एक विशेष महत्त्व है किन्तु विस्तार लेख में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सही परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए।

6. विस्तार लेख में भाषा की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए।

7. विस्तार लेख में विराम चिह्नों का सही प्रयोग आवश्यक है क्योंकि विराम चिह्नों के उचित प्रयोग न होने से कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

8. जहाँ तक सम्भव हो सके विस्तार लेख में व्याकरण सम्मत अशुद्धियों से बचना चाहिए।

9. विस्तार लेख का उपसंहार अत्यावश्यक है। किन्तु यह अति संक्षिप्त होना चाहिए। अनायास ही लेख समाप्त कर देने से लेखक का सारा प्रयास विफल हो जाता है।

10. यदि परीक्षा में विस्तार लेख की शब्द संख्या निर्धारित न हो तो विस्तार लेख के शब्दों की संख्या 300 और 500 के बीच में ही सीमित रखनी चाहिये।

उदाहरण 1

स्वास्थ्य ही धन है

विस्तार लेख– P.U. 2009

मानव जीवन एक बहते हुए झरने के समान है। जिस प्रकार झरने का जीवन जल है वैसे ही मनुष्य का जीवन स्वास्थ्य है। झरने में पानी न हो अथवा उसका पानी सूख जाए तो झरना, झरना नहीं रहता उसकी सत्ता ही मिट जाती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीवन, जीवन नहीं

रहता अर्थात् उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता, जीवन भी मृत्यु के समान प्रतीत होता है ।

स्वास्थ्य के बिना धनवान् व्यक्ति भी धन का उचित लाभ नहीं उठा सकता, वैभव सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता । यदि व्यक्ति स्वस्थ न हो तो उसे सोने की चमक और चांदी की खनक भी लुभावनी नहीं लगती क्योंकि रोग, शारीरिक पीड़ा उसके मन में ऐसी मानसिक वेदना उत्पन्न करते हैं कि उसे अपना जीवन नरक तुल्य प्रतीत होता है । स्वास्थ्य विहीन मनुष्य को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी विष के समान प्रतीत होता है, संगीत की मधुर स्वर लहरियां उसे आग के समान जलाने वाली लगती हैं । प्रकृति सुषमा उसे अंगारों के समान प्रतीत होती है । इसके विपरीत स्वस्थ व्यक्ति जीवन का रस पूरी तरह से भोगता है । घण्टों काम करने पर भी वह थकता नहीं है निराशा उसके पास तक नहीं फटकती । अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के मन में उत्साह, जोश और उमंग भर देता है । वह जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें सफल होता है ।

स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए और अति से बचना चाहिए । तात्पर्य यह कि हमें अति भोजन, अति जागरण, अति शयन और अति कार्य से बचना चाहिए ।

उदाहरण 2

समरथ को नहिं दोष गोसाईं

विस्तार लेख–

संसार का यह अनोखा नियम है कि समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति चाहे कितनी ही बड़ी भूल कर बैठे उसे कोई दोष नहीं देता जबकि वैसी ही भूल के लिए दुर्बल और निर्धन व्यक्ति को तरह-तरह के दण्ड भोगने पड़ते हैं । समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज और शासन अनेक नियमों और कानूनों को बनाते हैं । किन्तु देखने में आता है कि ये सब नियम या कानून आम आदमी के लिए होते हैं । समर्थ और शक्ति सम्पन्न लोग आए दिन इन नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं । उन्हें कोई रोकने-टोकने वाला नहीं, दण्ड देना तो बहुत दूर की बात है । एक पटवारी या

क्लर्क दस-बीस रुपये रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो नौकरी से हाथ धो बैठता है । समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े समाचार छपते हैं और कोई अफसर कोई मंत्री दस लाख, एक करोड़ की रिश्वत लेता है तो उसकी चर्चा नहीं होती, केवल इसीलिए न कि एक पटवारी या क्लर्क तो समर्थ नहीं, शक्ति-सम्पन्न नहीं है जबकि दूसरा अफसर या मन्त्री होता है ।

समरथ को दोष न देने की बात आज नई प्रचलित नहीं हुई ऐसा तो सदा से होता आया है । श्रीराम ने बाली को छिप कर धोखे से मारा । उनको दोष नहीं दिया गया । अर्जुन ने भीष्म पितामह को शिखण्डी आगे खड़ा करके मारा उनको किसी ने दोष नहीं दिया । भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में, गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके मारा तो उसे कोई दोष न दिया गया ।

समाज और शासन द्वारा समरथ को दोष न देने की नीति ने समाज में गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद जैसी भयानक समस्याओं को जन्म दिया है । कानून का उल्लंघन करने वाला उच्च अधिकारी तो रिश्वत देकर छूट जाता हैं समर्थ व्यक्ति आज डट कर काला धंधा करता है, चोर-बाजारी करता है, स्मगलिंग करता है क्योंकि वह जानता है कि प्रथम तो वह पकड़ा ही न जाएगा और यदि पकड़ा भी गया तो रिश्वत देकर छूट जाएगा । किसी ग़रीब की कन्या का अपहरण होने पर पुलिस चुप साधे बैठे और किसी मन्त्री की कन्या का अपहरण होने पर सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है । आखिर ऐसा क्यों है ? कारण यह है कि राजनीति हो या धर्म, शिक्षा हो अथवा सरकारी नौकरी सभी क्षेत्रों में जितने भी कायदे कानून हैं वे सब दुर्बल, विपन्न और ऐसे लोगों के लिए हैं जिनका कोई भी सगा सम्बन्धी किसी उच्च पद पर नहीं है ।

किन्तु इस पंक्ति में एक संदेश भी छिपा है कि यदि तुम सम्मानपूर्वक जीना चाहते हो तो बलशाली बनो, समाज में अपनी साख बनाओ और शक्ति का संचय करो ।

उदाहरण 3

अक़्ल बड़ी या भैंस P.U. 2009

विस्तार लेख–

दुनियाँ जानती और मानती है कि महात्मा गांधी जैसे दुबले पतले महापुरुष ने स्वतन्त्रता संग्राम बिना अस्त्र-शस्त्रों से लड़ा । उनका हथियार

केवल अहिंसा था। जिस कार्य को शारीरिक बल न कर सका, उसे बुद्धि बल ने कर दिखाया तभी तो कहावत प्रसिद्ध है कि अक़्ल बड़ी कि भैंस? जी हां अक़्ल ही बड़ी है। माना कि युद्ध भूमि में भीम जैसे विशालकाय और उसके पुत्र घटोत्कच जैसे बलशाली व्यक्तियों का अपना महत्त्व था किन्तु उन दोनों की वीरता या शक्ति को नियंत्रण में रखने वाली उन्हें दिश-निर्देश देने वाली तो श्री कृष्ण की बुद्धि ही थी। इतिहास को नया मोड़ देने वाले नेपोलियन, लेनिन और मुसोलिनी जैसे व्यक्ति भी अपने शारीरिक बल पर नहीं अपनी बुद्धि के बल पर सभी सफलताएं प्राप्त कीं।

राजनीति, समाज, धर्म, दर्शन, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी अक़्ल का ही डंका बजता है। राजनीति में तो आजकल विशेष रूप से अक़्ल का ही बोलबाला है। राजनीतिक दाव-पेंच, जोड़-तोड़ और तोड़-जोड़ इसी अक़्ल के भरोसे किए जाते हैं, शारीरिक बल का यहाँ कोई काम नहीं। हां, राजनीतिज्ञ शारीरिक बल वालों को अपने स्वार्थ के लिए खरीद लेते हैं तो वह भी अपनी अक़्ल के जोर पर, कुछ अपने पैसे के जोर पर। ऐसी ही कुछ बातें अन्य क्षेत्रों के विषय में भी हैं।

पंचतंत्र की एक कहानी में भी हमें इस कथन की पुष्टि होती मिलती है कि अक़्ल बड़ी कि भैंस? जब हम पढ़ते हैं कि एक छोटे-से खरगोश ने शक्तिशाली शेर को एक कुएं के पास ले जाकर उससे कुएं में छलांग लगवा कर मार डाला। अपनी अक़्ल के जोर पर ही उस खरगोश ने उस खूंखार शेर से अपनी ही नहीं जंगल के अन्य प्राणियों की भी रक्षा की।

भारत-पाक युद्ध में भी हम ने देखा कि हमारे सेनानायकों ने अपने बुद्धि बल पर ही पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। पाकिस्तान के पास तो बड़े-बड़े अमरीकी हवाई जहाज और पैटर्न टैंक जैसे वीभत्स टैंक थे किन्तु हमारे एक छोटे से नैट हवाई जहाज ने शत्रु पक्ष के छक्के छुड़ा दिये थे। सन् 1991 लड़ा गया खाड़ी युद्ध भी इसी बात का प्रमाण है। अमरीका ने बुद्धि बल पर ही, ईराक जैसे खतरनाक हथियार रखने वाले देश के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जन हानि नहीं होने दी।

अतः बुद्धि बल शारीरिक बल से सदा ही बड़ा होता है। भैंस नहीं अक्ल ही बड़ी है।

उदाहरण 4

संगठन में शक्ति होती है । P.U. 2009, 13

विस्तार लेख–

कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । यह बात इसलिए कही गई है कि संगठन में ही शक्ति होती हैं अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता । एक अकेला और दो ग्यारह होते हैं । बन्धी मुट्ठी सदा लाख की होती है । उसी से सभी डरते हैं । खुली मुट्ठी से कोई नहीं डरता । बूंद-बूंद मिल कर वर्षा की धारा बनती है, बूंद-बूंद मिलकर नदी की धारा बनती है जो अचल कहे जाने वाले पर्वतों की चट्टानों को चीरती हुई आगे बढ़ती है । वहीं बूंद जब अकेली होती है तो सूर्य की थोड़ी-सी गर्मी भी उसे सुखा देती है । किन्तु वही बूंद जब अन्य अन्य बूंदों के साथ मिलकर पहले नदी और फिर सागर का रूप धारण कर लेती है तो सूर्य की गर्मी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती । यदि वही उसे सुखाती भी है तो वह बादलों का रूप धारण कर फिर से जल का रूप धारण कर लेती है । बूंद की संगठन शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता ।

परिवार, समाज या राष्ट्र की उन्नति भी उसकी संगठन शक्ति पर ही निर्भर करती है । मान लीजिए एक परिवार में पांच भाई हैं । पांचों आपस में लड़ते रहते हैं । उन में एकता किसी बात पर भी नहीं होती तो वे समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाएंगे और हर कोई उनका अपमान कर सकता है । इसके विपरीत यदि उन पांचों भाइयों में एकता है, उनके पास संगठन की शक्ति है तो समाज में उनका सम्मान होगा । वे उन्नति भी शीघ्र करते हैं । इसी प्रकार समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो समाज में अव्यवस्था और अशांति नहीं होगी । राष्ट्रीय एकता एवं विकास के लिए तो जन-शक्ति का संगठित होना आवश्यक माना गया है । जिन देशों की जनता में संगठन की शक्ति है वे देश उन्नति के शिखर पर शीघ्र ही पहुँच जाते हैं । जापान इस संगठन शक्ति का एक उदाहरण है । चीन के साथ पन्द्रह वर्षों तक लम्बी लड़ाई लड़ने वाला जापान, द्वितीय युद्ध में एटम बमों से ध्वस्त कर दिया गया । जापान आज अपनी जन-शक्ति के संगठन के आधार पर ही दुनियाँ भर पर छा गया है । इंग्लैंड और अमरीका में आज मेड इन इंग्लैंड अथवा अमरीका के स्थान पर मेड इन जापान की मांग है ।

अतः हमें संगठन की शक्ति को समझते हुए देश का विकास करना

होगा । तभी भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो पायेगा ।

उदाहरण 5

समय का सदुपयोग P.U. 2012

विस्तार लेख –

कहा जाता है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो । जिस किसी ने भी यह बात कही है उसने समय के महत्त्व को ध्यान में रख कर ही कही है । प्रत्येक कार्य समय पर किया जाना बुद्धिमत्ता है । समय बीत जाने पर तो सिवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता । फिर तो वही बात होती है कि औसर चूकी डोमनी गावे ताल-बेताल ।

समय सब से बड़ा धन है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सम्मान करता है और उसका समुचित उपयोग करता है, उसी का जीवन सुखमय होता है, जीवन्त होता है । अतः समय के महत्त्व को समझो । कछुए और खरगोश की दौड़ में कछुए की जीत इसलिए हुई कि उसने समय के महत्त्व को समझा । खरगोश की तरह सो कर समय नहीं गंवाया था । जो विद्यार्थी समय के महत्त्व को नहीं समझते वे जीवन में पिछड़ जाते हैं और जीवन भर पछताते हैं । समय उन लोगों की झोली में ही सुख समृद्धि और सफलता का वरदान डालता है जो समय के महत्त्व को समझते हैं और उसका उचित उपयोग करते हैं । जो लोग समय के सदुपयोग को नहीं समझते वे अधम नर जीवन भर पछताते रहते हैं ।

इतिहास साक्षी है कि समय का मूल्य न समझने के कारण ही पृथ्वी राज चौहान मुहम्मद गौरी से पराजित हुआ । इसी कारण हुमायूं भी शेरशाह सूरी से हारा । अतः यदि हम चाहते हैं कि हमारा भावी जीवन सुखी हो तो अपने पास पड़े समय रूपी धन को व्यर्थ न गंवा कर उसका पूरी तरह से सदुपयोग करें । तभी हम उन्नति के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं ।

6. अनुच्छेद लेखन (Paragraph Writing)

अनुच्छेद लेखन का अर्थ है कि किसी कथन, निजी अनुभव अथवा संस्मरण को संक्षेप मे परन्तु सार गर्भित ढंग से लिखना ।

मान लीजिए आपने कोई विशेष घटना देखी हो, किसी नेता का भाषण सुना हो अथवा कोई निजी अनुभव या कथन पर कुछ लिखना हो तो उसे एक ही अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है ।

अनुच्छेद लेखन सार लेखन से बिल्कुल विपरीत है । सार लेखन में अनुच्छेद को एक तिहाई के रूप में लिखना होता है परन्तु अनुच्छेद लेखन के लिए कोई एक विषय दिया गया होता है । जिस पर आपको केवल एक अनुच्छेद लिखना होता है । अनुच्छेद विषयानुसार छोटा-बड़ा हो सकता है ।

अनुच्छेद लेखन का प्रश्न विद्यार्थी की मौलिक सूझ-बूझ, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति के विकास में सहायता करने के लिए रखा जाता है । भावी जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्त्व होता है । यह दो प्रकार का होता है ।

(1) निजी अनुभव पर – ऐसे अनुच्छेद में लेखक आपबीती उत्तम पुरुष एकवचन में लिखता है । जैसे भीड़ भरी बस की यात्रा, मतदान केन्द का दृश्य आदि विषयों पर लिखे अनुच्छेद ।

(2) विचारात्मक अनुच्छेद – ऐसे अनुच्छेद किसी महापुरुष के कथन, किसी मुहावरे या विचारात्मक विषय पर लिखे जाते हैं । जैसे–परहित सरिस धर्म नहिं भाई, सबै दिन होत न एक समान, नेता नहीं नागरिक चाहिए, बढ़ता फैशन, युवावर्ग आदि ।

अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें–

1. अनुच्छेद लेखन में सारी बात एक ही अनुच्छेद में लिखनी चाहिए ।

2. अनुच्छेद लेखन में भाव या विचार की एकता होनी चाहिए ।

3. इसमें ऐसा कोई वाक्य नहीं होना चाहिए जो मूल विषय से संबंधित न हो ।

4. निजी अनुभव पर अनुच्छेद उत्तम पुरुष एकवचन में लिखना चाहिए ।

5. शब्दों में चित्रात्मकता का गुण होना चाहिए ।

6. वाक्य रचना ऐसी हो कि जिससे अनुच्छेद रोचक बन जाए ।

7. अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरण की अशुद्धियों से रहित होनी चाहिए ।

8. अनुच्छेद जहाँ तक हो सके संक्षिप्त होना चाहिए ।

उदाहरण 1

छुट्टी का दिन

छुट्टी के दिन की हर किसी को प्रतीक्षा होती है । विशेषकर विद्यार्थियों को तो इस दिन की प्रतीक्षा बड़ी बेसबरी से होती है । उस दिन न तो जल्दी उठने की चिन्ता होती है न कॉलेज जाने की । स्कूल में भी छुट्टी की घण्टी बजते ही विद्यार्थी कितनी प्रसन्नता से 'छुट्टी ओए' का नारा लगा कर बाहर आ जाते हैं । प्राध्यापक महोदय के भाषण का आधा वाक्य ही उनके मुंह में रह जाता है और विद्यार्थी कक्षा छोड़ कर बाहर की ओर भाग जाते हैं । छुट्टी के दिन का पूरा मजा तो लड़के ही उठाते हैं । वे उस दिन खूब जी भर कर खेलते हैं, घूमते हैं । कोई सारा दिन क्रिकेट के मैदान में बिताता है तो कोई पतंगबाजी में सारा दिन बिता देते हैं । सुबह के घर से निकले शाम को ही घर लौटते हैं । कोई कुछ कहे तो उत्तर मिलता है कि आज छुट्टी है । परन्तु लड़कियों के लिए छुट्टी का दिन घरेलु काम काज का होता है । छुट्टी के दिन घर के सभी कपड़े धोने होते हैं । फिर उन्हें अपने बाल धोने, स्नान आदि करना होता है । कपड़े धोने के पश्चात् उन्हें अपनी माता के साथ रसोई के काम में हाथ बँटाना होता है । छुट्टी के दिन घर में विशेष भोजन तैयार किया जाता है । दूसरे दिन तो सुबह सवेरे सब को भागने की लगी रहती है । किसी को स्कूल जाना तो किसी को कार्यालय अथवा दूकान पर । दोपहर भोजन के पश्चात् थोड़ा आराम करते हैं और फिर सिलाई कढ़ाई आदि के बारे में बताया जाता है । फिर शाम की चाय का समय हो जाता है तथा चाय के साथ पकौड़े अथवा समोसे आदि भी बनाये जाते हैं । इस तरह छुट्टी का दिन लड़कों के लिए तो खेल कूद का दिन होता है परन्तु लड़कियों के लिए अधिक काम का दिन होता है ।

उदाहरण 2

कैसे मनायी हम ने पिकनिक

पिकनिक एक ऐसा शब्द है जो थके हुए शरीर एवं मन में एक दम स्फूर्ति ला देता है । मैंने और मेरे मित्र ने परीक्षा के दिनों में बड़ी मेहनत की थी । परीक्षा का तनाव हमारे मन और मस्तिष्क पर विद्यमान था । अतः उस तनाव को दूर करने के लिए हम दोनों ने यह निर्णय किया कि क्यों न किसी

दिन माधोपुर हैडवर्क्स पर जाकर पिकनिक मनायी जाए। अपने इस निर्णय से अपने मुहल्ले के दो चार और मित्रों को अवगत करवाया तो वे भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गये। माधोपुर हैडवर्क्स हमारे शहर से लगभग 10 कि.मी. दूरी पर था। अतः हम सब ने अपने-अपने साइकलों पर जाने का निश्चय किया। पिकनिक के लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया क्योंकि उस दिन वहाँ बड़ी रौनक रहती है। रविवार वाले दिन हम सब ने नाश्ता करने के बाद अपने-अपने लंच बाक्स तैयार किये तथा कुछ अन्य खाने का सामान अपने-अपने साइकिलों पर रख लिया। मेरे मित्र के पास एक छोटा टेपरिकार्डर भी था उसे भी उसने साथ ले लिया तथा साथ में कुछ अपने मन पसन्द गानों की टेपस् भी रख ली। हम सब अपनी-अपनी साइकिल पर सवार हो हँसते गाते एक-दूसरे को चुटकले सुनाते पिकनिक स्थल की ओर बढ़ चलें। लगभग 45 मिनट में हम सब माधोपुर हैडवर्क्स पर पहुँच गये। वहाँ हम ने प्रकृति को अपनी सम्पूर्ण सुषमा के साथ विराजमान देखा। चारों तरफ रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे शीतल और मन्द-मन्द हवा बह रही थी। हमने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ घास की प्राकृतिक कालीन बिछी हुई थी। हमने वहाँ एक दरी, जो हम साथ लाये थे, बिछा दी। कुछ देर इधर उधर घूम कर हमने प्रकृति के दृश्यों का आनन्द लिया। दोपहर को मिल कर भोजन किया। जब सूर्य अस्त होने को आया तो हमने अपना सामान समेटा और घर की तरफ चल पड़े। वास्तव में यह दिन सबके लिए एक आनन्दित दिन था।

उदाहरण 3

जीवन में शिक्षा का महत्त्व

भारतीय मनीषियों द्वारा जीवन में शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। उनका कथन है कि शिक्षा के बिना मनुष्य बिना सींग वाले पशु के समान है। शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। भारत में तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय खुले थे जहाँ पर विश्व के सभी देशों से विद्यार्थी आकर विद्या प्राप्त करते थे। उस समय भारत को विद्या का केन्द्र माना जाता था। शिक्षा के साथ-साथ उन्हें परिश्रम की शिक्षा भी दी जाती थी। विद्यार्थियों को नये-नये अनुसंधानों से शिक्षित किया जाता था। वे

नित्य प्रति नयी-नयी खोजों को खोजते रहते थे। उस समय वेदों के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी। आचार-विचार पर भी सबसे अधिक बल दिया जाता था। किन्तु आजकल शिक्षा की बजाए वेशभूषा पर ही अत्यधिक बल दिया जाने लगा है। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कियों की अशोभनीय पोशाक पर पाबन्दी लगाई गई तो छात्राएं विरोध प्रदर्शन करती हुई सड़कों पर उतर आई। उन्होंने इस आदेश को नारी स्वतंत्रता का एवं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया। सरकार को नारी शक्ति के आगे झुकना पड़ा। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल भौतिक सुख को प्राप्त करना ही रह गया है। शिक्षा केवल नौकरी तक ही सीमित रह गई है।

शिक्षा वास्तव में मनुष्य का बौद्धिक विकास करती है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली ही पूर्ण रूपेण कर सकती है। भारतीय शिक्षा से भारतीय संस्कृति की सुरक्षा सम्भव है। शिक्षा के अभाव में स्वधर्म और कर्म का ज्ञान ही नहीं हो सकता। अतः भारतीय शिक्षा आध्यात्मिक और व्यावहारिक प्रधानता वाली थी। उसी के कारण भारत विश्व में जगद्गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। आज हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं। जब तक हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को नहीं अपना लेते तब तक हम उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय भाषाओं और संस्कृत-हिन्दी की शिक्षा प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर में पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक दी जानी चाहिए। यही शिक्षा का मूल महत्त्व है।

उदाहरण 4

शक्ति अधिकार की जननी है

यह सारा संसार शक्ति का लोहा मानता है। शक्ति के बल पर मनुष्य अपने अधिकार प्राप्त करता है। शक्ति दो प्रकार की होती है—एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक शक्ति मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाती है जबकि मानसिक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। यदि ये दोनों शक्तियां मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी घुटने टेकने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता

होती है । अधिकार सरलता और विनम्रता से प्राप्त नहीं हो सकते । महाभारत इसका जीवन्त उदाहरण है । भारत को पराधीनता से मुक्ति तब तक नहीं मिली जब तक उसने शक्ति का प्रयोग नहीं किया । देश के क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान की आहुति देकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी । गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज सरकार से टक्कर ली । सारा देश अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया । विवश होकर अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा । कहावत है लातों के भूत बातों से नहीं मानते । सत्य है व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र उसे अधिकार प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है । शक्ति के द्वारा ही अहिंसा का पालन किया जा सकता है । सत्य का अनुसरण किया जा सकता है । अत्याचार और अनाचार को रोका जा सकता है एवं अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है । अतः यह ठीक ही कहा है कि शक्ति अधिकार की जननी है ।

उदाहरण 5.

विद्यार्थी और फैशन

(P.U. 1996, 1999, 2013)

फैशन कोई नयी वस्तु नहीं है । हर युग में हर समय में अपने-अपने ढंग से फैशन किये जाते रहे हैं । मनुष्य स्वभावतः सुन्दर दिखने सुन्दर लगने और सुन्दर कहे जाने की लालसा मन में रखता आया है । कुछ लोग कहते हैं कि फैशन केवल स्त्रियों के लिए ही बने थे । पहले वे घर के अन्दर रहकर अपने पति या परिवार वालों को प्रसन्न करने के लिए फैशन करती थीं । आज बाहर निकलते समय दूसरों को दिखाने के लिए फैशन करती है । पंजाबी में एक कहावत है कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता किन्तु आज उसका बिल्कुल उलट हो गया है हम खाते हैं जग भाता और पहनते हैं मन भाता । लड़कों ने कहीं पढ़ा कि फैशन करना लड़कियों का या स्त्री का जन्म सिद्ध अधिकार है । बस वे चिढ़ गए । हम किसी से क्या कम है सोचते हुए उन्होंने भी लड़कियों की नकल शुरू कर दी । नाखून बढ़ाना, नेल पालिश लगाना, सलवार कमीज पहनना, लम्बे-लम्बे बाल रखना, मुँह को पाउडर और गालों को सुर्खी लगाना शुरू कर दिया । यहीं बस नहीं उन्होंने कानों में बालियां भी

पहननी शुरू कर दी। उनकी इसी अदा को देखकर किसी कवि ने कहा– ''ढालकटारि, छोड़कर कंघी शीशा रह गयी, वीर लेड़ी बन गए यह उल्टी गंगा बह गई।'' लड़के-लड़कियां बन गए तो लड़कियां क्यों पीछे रहें। आखिर यह लड़कियों का जमाना है। पढ़ने में पहले नम्बर पर लड़कियाँ, खेल-कूद में लड़कियाँ नम्बर वन पर, आई.ए.एस., पी.सी.एस. की परीक्षा हो लड़कियाँ नम्बर वन पर, फिर लड़कियाँ फैशन में पीछे क्यों रहें। उन्होंने लड़कों के पहरावे पैंट-शर्ट, जीन-टी शर्ट को ही नहीं अपनाया बल्कि बाल भी लड़कों की तरह कटवा लिए जिसे आजकल वे बायकट कहलाती हैं। लगता है लड़कियों ने यह तय कर लिया है कि अब घोड़े पर सवार होकर लड़कों को ब्याह कर लाएंगी भले ही लड़का चीखता चिल्लाता कहे कि मैंनू रखलै अमड़िये अज दी घड़ी और बुल्हेशाह को लिखना पड़े डोली चढ़दियाँ मारियाँ रंझे चीखा, मैंनू लै चली वे बावला लै चली। फैशन ने लड़कों को इतना जनाना बना दिया है कि उपर्युक्त बातें भविष्य में घटने की पूरी सम्भावना है। परन्तु लड़कियाँ अपने उद्देश्य में तभी सफल होंगी जब वे हाय कहना छोड़ नमस्ते कहना सीखेंगी। फैशन चक्कर में पड़ कर कहीं लड़कियाँ अपने नारीत्व को ही न खो बैठे। फैशन के विरुद्ध हम कभी थे और न ही आज है परन्तु जब इसे रोग बना लिया जाए तो वह जचता नहीं। लड़कियाँ जितनी सुन्दर सलवार कमीज या साड़ी ब्लाऊज में जंचती हैं पैंट शर्ट में नहीं। बुरा न मनाएं। विद्यार्थी जीवन में आप फैशन नहीं करेंगे तो कब करेंगे आगे तो फिर वही नून तेल लकड़ियों के चक्कर में पड़ना है। इसलिए फैशन जरूर करो लेकिन ऐसा जिस से तुम भारतीय लगो।

7. अपठित-लेखन (Unseen Writing)

पहले न पढ़े हुए अनुच्छेद को पढ़कर उसके अर्थ को समझना अर्थग्रहण कहलाता है। अपठित अनुच्छेद पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक दो-तीन बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में

लिखने चाहिए। भाषा, सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए।

उदाहरण 1

परिश्रम उन्नति का द्वार है। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुँचा है। उसी के सहारे उसने अन्न, वस्त्र, घर, मकान, भवन, बांध, पुल, सड़कें बनाई। तकनीक का विकास किया, जिसके सहारे आज यह जगमगाती सभ्यता चल रही है। परिश्रम केवल शरीर की क्रियाओं का ही नाम नहीं है। मन तथा बुद्धि से किया गया कार्य भी परिश्रम कहलाता है। हर श्रम में बुद्धि तथा विवेक का पूरा योग रहता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन स्वाभिमान से पूर्ण होता है। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता हैं उसमें आत्म-विश्वास होता है। परिश्रमी किसी भी संकट को बहादुरी से झेलता है तथा उससे संघर्ष करता है। परिश्रम कामधेनु है जिससे मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मनुष्य को मरते दम तक परिश्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो परिश्रम के वक्त इन्कार करता है, वह जीवन में पिछड़ जाता है।

1. वर्तमान विकसित अवस्था तक मनुष्य कैसे पहुँचा?
   (1) अन्न उपजाकर (2) धन व बुद्धि के बल पर
   (3) परिश्रम कर के (4) सुखों को भोगकर।
2. मन और बुद्धि द्वारा किया जाने वाला कार्य कहलाता है?
   (1) चतुरता (2) विश्राम
   (3) विवेक (4) परिश्रम
3. परिश्रमी व्यक्ति के गुण हैं–
   (1) आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी, संघर्षी एवं स्वयं का भाग्य-निर्माता
   (2) स्वाभिमानी, संघर्षी, दयालु एवं चरित्रवान
   (3) स्वयं का भाग्य-निर्माता, आत्मविश्वासी एवं दयालु
   (4) चरित्रवान्, आत्मविश्वासी, भाग्यवादी, सत्यवादी।
4. परिश्रम को 'कामधेनु' कहने का क्या आशय है?
   (1) सारी बाधाओं को दूर करना

(2) सारी परिस्थितियों को बदलना
(3) सारी इच्छाओं को दबाना
(4) सारी कामनाओं को पूरा करना ।

5. कौन जीवन में पीछे रह जाता है ?
(1) जो धीरे चलता है
(2) जो बिना सोचे तेज चलता है
(3) जो परिश्रम के समय इंकार करता है
(4) जो आत्मविश्वास का सहारा नहीं लेता ।

उदाहरण 2

मेरा देश भारत संसार के देशों का सिरमौर है । यह प्रकृति की पुण्य लीलास्थली है । माँ भारती के सिर पर हिमालय मुकुट के समान शोभायमान है । गंगा तथा यमुना इसके गले के हार हैं । दक्षिण में हिंदमहासागर भारत माता के चरणों को निरंतर धोता रहता है । इस देश की उर्वरा धरती अन्न के रूप में सोना उगलती है । संसार में केवल यही एक देश है जहाँ षड्ऋतुओं का आगमन होता है । गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अनेक ऐसी नदियाँ हैं जो अपने अमृत-जल से इस देश की धरती की प्यास शांत करती है ।

हमारा प्यारा देश 'विश्व गुरु' रहा है । यहाँ की कला, ज्ञान-विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद संसार के प्रकाशदाता रहे हैं । यह देश ऋषि-मुनियों, धर्म-प्रवर्तकों तथा महान् कवियों ने बनाया है । त्याग हमारे देश का सदैव से मूल मंत्र रहा है । जिसने त्याग किया, वही महान् कहलाया । बुद्ध, महावीर, दधीचि, रतिदेव, राजा शिवि, रामकृष्ण परमहंस, गांधी इत्यादि महान् विभूतियाँ इसका जीता जागता प्रमाण हैं ।

भारत पर प्रकृति की विशेष कृपा है । यहाँ पर खनिज पदार्थों का पर्याप्त भंडार है । अपनी अपार संपदा के कारण ही इसे 'सोने की चिड़िया' की संज्ञा दी गई है । धन-सम्पदा के कारण ही हमारा देश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा है ।

1. उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए ।
2. भारत को संसार के देशों का सिरमौर क्यों कहा जा सकता है ?

3. भारत देश का मूल मंत्र क्या है ?

4. भारत को 'सोने की चिड़िया' की संज्ञा क्यों दी गई ?

5. गद्यांश से कोई दो योजक शब्द प्रयुक्त शब्दों का चयन कीजिए ।

उदाहरण 3

साहस की ज़िन्दगी रोमांचक होती है । ऐसी ज़िन्दगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं । जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनियाँ की असली ताकत होता है और दुनियाँ को प्रकाश भी उसी से मिलता है । अड़ोस-पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है । क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं ।

1. उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक दीजिए ।
   (1) साहस (2) साहस की जिन्दगी
   (3) ज़िन्दगी (4) साहसी व्यक्ति
2. साहस की ज़िन्दगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है ?
   (1) साहस की ज़िन्दगी रोमांचक होती है ।
   (2) साहसी व्यक्ति निडरता से जीता है वह इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे ।
   (3) साहसी ज़िन्दगी जीने वाले लोग कर्मठ होते हैं ।
   (4) साहसी ज़िन्दगी जीने वाले हठ के पक्के होते हैं ।
3. कैसा आदमी दुनिया की असली शक्ति होता है ?
   (1) अपनी मरजी से जीने वाला
   (2) जनमत की उपेक्षा करने वाला
   (3) क्रांति करने वाला
   (4) लोगों की बात मानने वाला
4. क्रांति करने वालों की क्या विशेषता होती है ?
   (1) हरदम क्रांति की बातें करते हैं ।

(2) हरदम क्रांति करने के लिए तैयार रहते हैं ।

(3) क्रांति करने वाले किसी की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं ।

(4) वे पड़ोसियों की भावनाओं से प्रभावित होते हैं ।

5. निम्न शब्दों के विलोम शब्द का सही विकल्प छांटिए–

(1) साहसी – हिम्मती, आलसी, डरपोक

(2) प्रकाश – रोशनी, अंधकार, अंधेरा

(3) मद्धम – तेज, उजाला, तीव्र

उदाहरण 4

मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है । सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित सेवा भावना की है । प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है परंतु हम करते क्या हैं ? हम बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं । हम वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं । पेड़ काटकर औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाते जा रहे हैं । हम यह तथ्य भूलते जा रहे हैं कि इस प्रकार ये संसाधन एक न एक दिन समाप्त हो जायेंगे । हमें पता है कि प्रकृति अपनी पुनः पूर्ति कर सकने में समर्थ है परन्तु हम उसे इस पुनः पूर्ति का समय ही नहीं देना चाहते । अतः हमें वन-सम्पदा की सेवा के लिए वनवर्धन करना चाहिए ताकि प्रकृति हमें और बेहतर ढंग से उपहार दे सके ।

1. उपर्युक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक दीजिए ।
2. प्रकृति मनुष्य को क्या संदेश देती है ?
3. मनुष्य का प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है ?
4. मनुष्य वनों को सफाया क्यों करता जा रहा है ?
5. 'पुनः पूर्ति' शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए ।

उदाहरण 5

साम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घृणा से घृणा का जन्म होता है, जो दावाग्नि की तरह सबको जलाने का काम करती है । महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। उन्होंने सर्व-धर्म-समभाव द्वारा

साम्प्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया। हिन्दू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को समान आदर की दृष्टि से देखा। सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न-भिन्न उपाय और साधन बताते हैं। धर्मों में छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं है। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। इसलिए धर्म के मूल में पार्थक्य या भेद नहीं है।

1. इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष लिखिए।
   (1) सम्प्रदाय (2) धार्मिक झगड़े
   (3) मेलजोल (4) साम्प्रदायिक सद्‌भावना
2. गांधीजी ने साम्प्रदायिक सद्‌भावना हेतु क्या किया?
   (1) हिन्दू-मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को समान रूप से देखा।
   (2) धर्म का प्रचार किया।
   (3) निर्गुण परमात्मा को मानने हेतु प्रेरित किया।
   (4) वेद-ग्रंथों को श्रेष्ठ मानने की प्रेरणा दी।
3. साम्प्रदायिक सद्‌भावना की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है।
   (1) इससे लोग आपसी घृणा समाप्त कर सकते हैं।
   (2) इससे आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है।
   (3) सभी का एक-दूसरे पर विश्वास बढ़ता है।
   (4) उपर्युक्त सभी।
4. सभी धर्मों की समान विशेषता क्या है?
   (1) सभी धर्म अपने धर्म का प्रचार करते हैं।
   (2) सभी धर्म सत्य, समता, प्रेम, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं।
   (3) सभी धर्म अमीर-ग़रीब व छोटे-बड़े का भेद नहीं मानते।
   (4) सभी धर्म आत्मा की शांति प्रदान करना चाहते हैं।
5. महात्मा गांधी के अनुसार आपसी घृणा को कैसे समाप्त करना

चाहिए ।

(1) सहयोग से (2) आपसी विचार विनिमय से

(3) प्रेम से (4) इनमें से कोई नहीं ।

8. संवाद-लेखन (Dialogue-Wriging)

किसी एक दिन निश्चित विषय पर दो व्यक्तियों के वार्तालाप का नाम संवाद है । इस को सम्भाषण, वार्तालाप अथवा कथोपकथन भी कहते हैं । इस प्रकार के संवादों में ऐसे विषय के दोनों पक्ष पाठकों के सम्मुख आ जाते हैं और विषय का सम्यक् ज्ञान हो जाता है ।

संवाद के लिए आवश्यक बातें–

1. लेखक को दिए हुए दोनों पक्ष संवाद में रखने होते हैं । अतः उसे उक्त विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ।

2. जिस व्यक्ति से जो बात कहलानी हो संवाद में उसके अनुकूल ही भाषा होनी चाहिए ।

3. संवाद में प्रस्तुत विचार भी दोनों पक्षों के व्यक्तियों की योग्यता के अनुकूल होने चाहिए ।

4. संवाद में बातचीत का प्रवाह तथा रोचकता अवश्य बनी रहनी चाहिए ।

5. संवाद में विषय को क्रम से प्रस्तुत करना चाहिए ।

6. भाषा सरल तथा शुद्ध होनी चाहिए ।

1. ग्रामीण तथा नागरिक संवाद

ग्रामीण – हमारे ग्राम तो स्वर्ग तुल्य हैं । क्यों भाई नागरिक ! तुम ने यह सुना ही होगा कि ग्रामों को भगवान् ने बनाया है और नगरों को शैतान ने ।

नागरिक – सुना तो मैंने भी है परन्तु तुम जानते ही हो कि ग्रामों का नगरों से क्या मुकाबला ? ग्रामों में न तो सिनेमा, न रेडियो, न अस्पताल, न डाकखाने, बीमार पड़ें तो मर के ही उठें, फिर न स्कूल और न कॉलेज । ग्राम्य जीवन तो आधा पशु जीवन हैं

ग्रामीण – अरे मित्र नागरिक ! तुम ने ग्रामों को देखा ही क्या है ? प्रातः

काल का सुन्दर समीकरण, शुद्ध स्वच्छ दूध और घी तुम्हें नगरों में कहाँ प्राप्त हो सकता है? नगर भी बनावटी है और उनकी चीजें भी बनावटी। यदि हमारा जीवन पशु जीवन है, तो तुम्हारा जीवन नितान्त कृत्रिम है।

नागरिक – अज्ञानता भी संसार में महान् पाप है। तुम ग्रामीणों को न तो अपना कुछ पता है और न संसार का। जहाँ तुम पैदा होते हो, वहीं से मर कर निकलते हो। तुमने अपने भगवान् के संसार का क्या देखा है, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे।

ग्रामीण – तुम्हारा नागरिक संसार छल-कपट से भरपूर है। नगरों में बात-बात पर झूठ, ठगी तथा मकर-फरेब है। तुम्हारी इस दुनियाँ से हम ग्रामीण लोग दूर ही भले हैं। हमारे यहाँ सब प्रकार का सत्य व्यवहार है। सब मिल कर रहते हैं। एक-दूसरे के हम सब सुख-दुःख के साथी हैं। ऐसा स्वर्गीय प्रेम नगरों में कहाँ मिल सकता है?

नागरिक – तुम्हारे भ्रातृभाव और प्रेम का हमें पूर्ण ज्ञान है। तुम्हारे यहां बात-बात पर मुकद्दमे लड़े जाते हैं। बात-बात पर तुम्हारे यहां तलवारें चलती हैं। फिर भी तुम मिल कर रहने का श्रेय लेते हो, यह बड़ी विचित्र बात है।

ग्रामीण – तुम इसे हमारे कमजोरी समझो अथवा अच्छाई कि हम अपनी आन पर जान दे सकते हैं, परन्तु तुम्हारे नागरिक जीवन में तो चरित्र का स्थान ही नहीं। सब प्रकार के पाप और भ्रष्टाचार तुम्हारे नगरों में होते हैं। भगवान् हमें तुम्हारे नगरों के तो दर्शन ही न कराए।

नागरिक – ऐसा लगता है कि हम दोनों अपने-अपने स्थान पर ठीक कहते हैं। एक दृष्टि से नगर अच्छे हैं तो ग्राम बुरे, दूसरी दृष्टि से ग्राम अच्छे हैं तो नगर बुरे।

ग्रामीण – तो आओ फिर परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह नगरों की अच्छाइयाँ ग्रामों को दे दें और ग्रामों की अच्छाइयाँ नगरों को। दोनों ऐसे मिल जाएं जैसे हम और तुम मिले हुए हैं।

नागरिक – परमात्मा ऐसा ही करे!

2. भाग्य और पुरुषार्थ

देव – नरेश! तुमने देख लिया कि मैंने इस बार परीक्षा में पास होने के

लिए कितना परिश्रम किया था, परन्तु ऐसा लगता है कि भाग्य में इस बार पास होना नहीं लिखा था ।

नरेश – देव ! हताश होने की कोई बात नहीं है । तुम्हारी तैयारी में कोई कमी रह गई होगी, भाग्य कोई वस्तु नहीं ।

देव – यदि भाग्य न होता तो मनुष्य जो कुछ चाहता है उसके लिए पूर्ण प्रयत्न करने पर भी वह सफल क्यों नहीं होता ?

नरेश – इसका कारण भाग्य नहीं । प्रत्युत पहले तो मनुष्य उतना प्रयत्न ही नहीं करता जितना कि सफलता के लिए अभीष्ट होता है । यदि उतना प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो मनुष्य को अपने कर्मों का फल भी मिलना होता है ।

देव – कई सुयोग्य तथा श्रेष्ठ व्यक्ति भी संसार में दुःखी देखे जाते हैं । यद्यपि वे कर्म भी अच्छे करते हैं ।

नरेश – ऐसे लोग पूर्व जन्म का फल भोगते हैं । अकारण तो किसी को

लेखक द्वारा प्रकाशित एवं निःशुल्क वितरित पुस्तकों की सूची :–

1. रामचरितमानससार
2. गीतासार
3. उपनिषद्सार
4. सत्यार्थप्रकाशसार
5. भक्ति
6. सुखीजीवन
7. आत्मबोध
8. वेदवाणी
9. वैदिकसाहित्य
10. अमृतवाणी
11. महर्षि दयानंद
12. स्वामी विवेकानंद
13. शरणागति
14. वैदिक रामायण
15. क्या आप जानते हैं ?
16. शेर-ओ-शायरी

लेखक द्वारा अप्रकाशित पुस्तकों की सूची :–

1. वैदिक उपनिषदवाणी
2. वैदिक दर्शनवाणी
3. वैदिक महाभारत
4. वैदिक गीता
5. अमर धर्मग्रंथ
6. अमर नीतिग्रंथ
7. पुराणपरिचय
8. ईश्वरसिद्धि
9. राष्ट्रभाषा हिन्दी
10. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम
11. महावीर हनुमान
12. योगिराज श्रीकृष्ण
13. आदिशंकराचार्य
14. आचार्य चाणक्य
15. दस गुरु
16. आर्यसमाज के महामानव
17. स्वामी रामतीर्थ
18. संस्कार
19. गीतांजलि
20. आर्यसमाज
21. ओ३म्
22. गायत्रीरहस्य
23. ज्ञानामृत
24. यज्ञ
25. संत
26. संतवाणी
27. सामान्य हिन्दी (भाग I-II)
    (सब कक्षाओं के लिये)
28. **Great Thoughts**
29. **General English (Part I to V)**
    (For All Classes)